

Vol. 270
No. 13



Friday,
13 February, 2026
24 Magha, 1947 (Saka)

PARLIAMENTARY DEBATES

RAJYA SABHA

OFFICIAL REPORT (FLOOR VERSION)

(PART-II)

CONTENTS

Papers Laid on the Table (pages 1 – 6)

Reports of the Department-Related Parliamentary Standing Committee on Transport,
Tourism and Culture— *Presented* (page 7)

Statement by Minister—

Status of implementation of Observations/Recommendations contained in
the One Hundred Forty-eighth and One Hundred Fifty-fifth Reports of
the Department-related Parliamentary Standing Committee on Health and
Family Welfare— *Laid on the Table* (page 7)

President's Message (page 8)

Matters raised with Permission—

Demand for granting voting rights to under trial prisoners through amendment to
the Section 62 (5) of Representation of the People Act, 1951 (pages 8 – 9)

Need for fast, convenient and regular train connectivity between Agartala and
Guwahati (pages 9 – 10)

Need for Central assistance to divert surplus Cauvery Water to Ponnaniyar Dam
and Kannuthu Tank in Tamil Nadu (pages 10 – 11)

©

RAJYA SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

Need for diversion of water from the Sahyadri Range to the Godavari and Krishna Basins to address drought in Marathwada (pages 11 – 12)

Demand for restoration of the District Hospital at Shahjahanpur in Uttar Pradesh (pages 12 – 13)

Need to address the grievances of selected youth awaiting joining in the Indian Army and the Indian Air Force (pages 14 – 15)

Need to strengthen the healthcare infrastructure in Jammu and Kashmir (pages 15 – 16)

Demand for expansion and strengthening of PM Vishwakarma Scheme (pages 16 – 17)

Concern over the changing routes of Human Trafficking and the plight of Indian nationals abroad (pages 17 – 18)

Concern over the increasing incidents of vandalism at protected Heritage Sites (page 19)

Need for strengthening the institutional memory in the National Commission for Women (page 20)

Need for a Universal Basic Minimum Wage (pages 21 – 22)

Concern over threat to Kashmir's horticulture industry due to harmful agro-chemicals and apple imports (pages 22 – 23)

Concern over the protests against the installation of statues of Dr. B. R. Ambedkar in various parts of the country (pages 23 – 24)

Demand for restoration of travel concessions for journalists by Indian Railways as provided prior to the COVID-19 pandemic (pages 24 – 25)

Demand to implement the surface water-based (river source) drinking water supply in the northern areas of BTR district adjacent to Indo-Bhutan border of Assam (pages 25 – 26)

Concern over growing lack of civic sense and the need to strengthen sanitation and hygiene in public spaces (pages 27 – 28)

Website : <http://rajyasabha.nic.in>
<http://parliamentofindia.nic.in>

E-mail: rsedit-e@rss.sansad.in



Need for strengthening the Indo-Bhutan Joint River Commission (pages 28 – 29)

Concern over the encroachment of ponds and need for their Conservation (pages 29 – 30)

Regarding matter raised with respect to Rule 261 (pages 30 – 32)

Oral Answers to Questions (pages 33 – 68)

[Answers to Starred and Un-starred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part – I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link <https://sansad.in/rs/debates/officials>]

Special Mentions—

Concern over the services of Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) (page 69)

Demand for opening a CGHS Wellness Centre at Puri in Odisha (pages 69 – 70)

Demand for construction of elevated road to decongest connectivity from Akshardham to Noida and Greater Noida up to Pari Chowk, Greater Noida, UP (page 70)

Demand for establishment of *Kisan Mandis* along the National Expressway (pages 70 – 71)

Demand for a new Intercity Express train between Pratapgarh and Agra (page 71)

Need to recognize Neurofibromatosis Type 1(NF1) under the National Policy for Rare Diseases (pages 71 – 72)

Concern over cybercrimes in the country (page 72)

Demand for establishment of a modern and excellent institute for the study of science in Taregna under Patna district of Bihar on the lines of Indian Institute of Science, Bangalore (page 73)

Concern over increasing obscenity in the Bhojpuri film and music industry (pages 73 – 74)

Demand of *Vande Bharat* Express train from Jaipur to Jodhpur *via* Sikar, Churu, Bikaner (page 74)

Concern over rising food adulteration (pages 74 – 75)

Need for voluntary promotion of “*Jai Hind*” greeting in government offices (page 75)

Demand for promoting local product-based MSMEs and generating employment in Mayurbhanj, Odisha (pages 75 – 76)

Concern over decline in water quality of Mula—Mutha Rivers in Pune (page 76)

Concern over growing problem of traffic congestion and road accidents in Chandigarh (page 77)

Demand for integration of the Fertilizer Management System (iFMS) with the My Crop My Details (MFMD) portal (pages 77 – 78)

Demand for establishing a National Astronomical Observatory in Odisha (pages 78)

Demand for a medical college in the aspirational district of Barwani, Madhya Pradesh (pages 78 – 79)

Concern over low literacy rate in Bihar (page 79)

RAJYA SABHA

Friday, the 13th February, 2026 / 24 Magha, 1947 (Saka)

The House met at eleven of the clock,

MR. CHAIRMAN *in the Chair.*

PAPERS LAID ON THE TABLE

MR. CHAIRMAN: Papers to be laid on the Table.

- I. **Notifications of the Ministry of Electronics and Information Technology**
- II. **Notifications of the Ministry of Commerce and Industry**
- III. **Reports and Accounts (2024-25) of CAPEXIL, Kolkata and PEC Limited, New Delhi and related papers**
- IV. **Reports and Accounts (2024-25) of the Tobacco Board, Guntur, Andhra Pradesh; Pharmexcil, Hyderabad and related papers**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI JITIN PRASADA): Sir, I lay on the Table:—

I. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Electronics and Information Technology Notification No. G.S.R. 120(E)., dated the 10th February, 2026, publishing the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Amendment Rules, 2026, under sub-section (3) of Section 87 of the Information Technology Act, 2000.

[Placed in Library. See No. L.T. 6350/18/26]

II. (i) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Commerce and Industry (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) Notification No. FDDI/GC/83/2024., dated the 18th December, 2025, publishing the Footwear Design and Development Institute (Amendment) Ordinance, 2025, under sub-section (2) of Section 38 of the Footwear Design and Development Act, 2017.

[Placed in Library. See No. L.T. 6301/18/26]

(ii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Commerce and Industry (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) Notification No. G.S.R.

09(E)., dated the 6th January, 2026, publishing the Boiler Attendants' (Amendment) Rules, 2026, under Section 41 of the Boilers Act, 2025.

[Placed in Library. See No. L.T. 6300/18/26]

III. (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:—

- (i) (a) Sixty-seventh Annual Report and Accounts of the Chemicals and Allied Products Export Promotion Council (CAPEXIL), Kolkata, West Bengal, for the year 2024 -25, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Review by Government on the working of the above Council.

[Placed in Library. See No. L.T. 6303/18/26]

- (ii) (a) Fifty-fourth Annual Report and Accounts of the PEC Limited, New Delhi, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
- (b) Performance Review of the above Company, for the year 2024-25.

(2) Statements (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 6308/18/26]

IV. (A) (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (4) of Section 19 and sub-section (3) of Section 22 of the Tobacco Board Act, 1975: -

- (a) Annual Report and Accounts of the Tobacco Board, Guntur, Andhra Pradesh, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Review by Government on the working of the above Board.

(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 6302/18/26]

(B) A copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

- (a) Twenty-first Annual Report and Accounts of the Pharmaceuticals Export Promotion Council of India, (Pharmexcil), Hyderabad, Telangana, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Review by Government on the working of the above Council.
- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 6307/18/26]

- I. **Notifications of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare**
- II. **Report and Accounts (2022-23) of the Haryana Agro Industries Corporation Limited, Panchkula and related papers**

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:—

I. (i) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture and Farmers Welfare) Notification No. S.O. 5574(E)., dated the 3rd December, 2025, notifying the specifications, as mentioned therein, in respect of Phospho Gypsum to be manufactured in India for a period of three years from the date of publication of this notification, framed under clause 20A of the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) Control Order, 1985.

(ii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture and Farmers Welfare) Notification No. S.O. 5836(E)., dated the 17th December, 2025, authorising the manufacturers of Fermented Organic Manure and Liquid Fermented Organic Manure, as mentioned therein, to sell Fermented Organic Manure and Liquid Fermented Organic Manure in bulk directly to farmers for a period of three years from the date of publication of this Order, framed under sub-clause (c) of clause 22 of the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985.

(iii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture and Farmers Welfare) Notification No. S.O. 5838(E)., dated the 17th December, 2025, constituting the Central Fertiliser Committee consisting of the members, as mentioned therein, framed under sub-clause (1) of

clause 38 of the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985.

(iv) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture and Farmers Welfare) Notification No. S.O. 390(E)., dated the 28th January, 2026, fixing the Maximum Retail Price of Sulphur Coated Urea, framed under sub-clause (1) of clause 3 of the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985.

[Placed in Library. For (i) to (iv), See No. L.T. 6314/18/26]

(v) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture and Farmers Welfare), under sub-section (6) of Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955:—

- (1) S.O. 5575(E)., dated the 3rd December, 2025, publishing the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Twelfth Amendment Order, 2025.
- (2) S.O. 5837(E)., dated the 17th December, 2025, publishing the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Thirteen Amendment Order, 2025.

[Placed in Library. For (1) to (2), See No. L.T. 6314/18/26]

II. (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:—

(a) Annual Report and Accounts of the Haryana Agro Industries Corporation Limited, Panchkula, Haryana, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Corporation.

(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 6313/18/26]

Reports and Accounts (2024-25) of BECIL, New Delhi; SRFTI Kolkata and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND

BROADCASTING (DR. L. MURUGAN): Sir, I lay on the Table:—

I. (A) (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:—

- (a) Thirtieth Annual Report and Accounts of the Broadcast Engineering Consultants India Limited (BECIL), New Delhi, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
- (b) Review by Government on the working of the above Company.

(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 6472/18/26]

(B) A copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

- (a) Annual Report and Accounts of the Satyajit Ray Film and Television Institute (SRFTI), Kolkata, West Bengal, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Review by Government on the working of the above Institute.
- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 6363/18/26]

Report and Accounts (2024-25) of NIFTEM Kundli, Haryana and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI RAVNEET SINGH): Sir, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

- (a) Fifteenth Annual Report and Accounts of the National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management (NIFTEM), Kundli, Haryana, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.



- (b) Performance Review of the above Institute for the year 2024-25.
- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 6383/18/26]

Reports and Accounts (2024-25) of CEPC New Delhi and HEPC, Chennai and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. L. MURUGAN): Sir, on behalf of Shri Pabitra Margherita, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

- (i) (a) Forty-second Annual Report and Accounts of the Carpet Export Promotion Council (CEPC), New Delhi, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Review by Government on the working of the above Council.
- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 6449/18/26]

- (ii) (a) Fifty-sixth Annual Report and Accounts of the Handloom Export Promotion Council (HEPC), Chennai, Tamil Nadu, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Review by Government on the working of the above Council.
- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 6450/18/26]

REPORT OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE

SHRI SANJAY KUMAR JHA (Bihar): Sir, I lay on the Table a copy of the 386th Report (in English and Hindi) of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on 'Holistic Development of India's Tourism Sector through Formal Skill Development, University-Level Courses and Professional Training for Guides, Hospitality and Eco-Tourism'.

STATEMENTS BY MINISTER

Status of implementation of Observations/Recommendations contained in the One Hundred Forty-eighth and One Hundred Fifty-fifth Reports of the Department- related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव जाधव) : महोदय, मैं निम्नलिखित के संबंध में वक्तव्य देता हूँ:—

- (a) Status of implementation of Observations/Recommendations contained in the One Hundred Forty-eighth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare on 'Mental Health Care and its Management in Contemporary Times' and One Hundred Fifty-eighth Report of the Committee on Action Taken by the Government on Observations/Recommendations contained in its One Hundred Forty-eighth Report pertaining to the Ministry of Health and Family Welfare.

[Placed in Library. See No. L.T. 6400/18/26]

- (b) Status of implementation of Observations/Recommendations contained in the One Hundred Fifty-fifth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare on 'Functioning of Central Government Health Scheme (CGHS)' and One Hundred Sixtieth Report of the Committee on Action Taken by the Government on Observations/Recommendations contained in its One Hundred Fifty-fifth Report pertaining to the Ministry of Health and Family Welfare.

[Placed in Library. See No. L.T. 6401/18/26]



PRESIDENT'S MESSAGE

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I have received the following message dated the 7th February, 2026, from the hon. President:—

“I have received the expression of Thanks by the Members of Rajya Sabha for the Address which I delivered to both Houses of Parliament assembled together on 28th January, 2026.”

MR. CHAIRMAN: Now, Matters raised with permission of the Chair. Shri Iranna Kadadi.

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Demand for granting voting rights to undertrial prisoners through amendment to the Section 62 (5) of Representation of the People Act, 1951

श्री ईरण्ण कडाडी (कर्नाटक): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान चुनाव सुधारों से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने हमेशा 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के मंत्र पर काम किया है। आज हमारे देश की जेलों में करीब 4.9 लाख से अधिक कैदी हैं, जिनमें से 77 परसेंट, यानी लगभग 3.8 लाख से अधिक लोग केवल अंडर-ट्रायल्स हैं। इसका मतलब है कि कानून की नजर में अभी उनका दोष सिद्ध नहीं हुआ है। महोदय, वर्तमान कानून के अनुसार जेल में बंद किसी भी व्यक्ति के वोट देने पर पूरी तरह से रोक है। लेकिन यहां एक बड़ी कानूनी विसंगति है कि यदि कोई कन्विक्ट व्यक्ति बेल या पैरोल पर बाहर है, तो वह वोट डाल सकता है। इतना ही नहीं, जो लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन में हैं, उन्हें भी पोस्टल बैलेट से वोट देने की सुविधा मिली हुई है। यहां तक कि जेल के अंदर से चुनाव लड़ने की भी अनुमति है, लेकिन वोट डालने पर पाबंदी है।

महोदय, कई बार गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर अंडर-ट्रायल्स केवल जमानत की राशि न भर पाने के कारण जेल में रहते हैं, जबकि उसी अपराध का आरोपी संपन्न व्यक्ति बाहर रह कर वोट दे पाता है। यह स्थिति कहीं न कहीं संविधान के अनुच्छेद 326 और वोट के अधिकार की भावना के विपरीत है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। हमारी सरकार ने पिछले वर्षों में कई पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को खत्म किया है। इसलिए यह समय इस विसंगति को भी दूर करने का है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1951 की धारा 62(5) में आवश्यक संशोधन किया जाए, जिससे जेलों में बंद अंडर-ट्रायल्स, जिन पर 7 साल से कम की सजा वाले अपराधों का आरोप है, उन्हें वोट देने का अधिकार दिया जाए। इससे न केवल हमारे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी, बल्कि जेल सुधारों की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम होगा। धन्यवाद।



MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by Shri Iranna Kadadi: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Niranjana Bishi (Odisha), Shri Saket Gokhale (West Bengal), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Subhasish Khuntia (Odisha), Shrimati Darshana Singh (Uttar Pradesh), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Shri Haris Beeran (Kerala), Shrimati Sangeeta Yadav (Uttar Pradesh), Shri Harsh Mahajan (Himachal Pradesh), Shri Amar Pal Maurya (Uttar Pradesh), Shrimati Sudha Murty (Nominated), Dr. Kavita Patidar (Madhya Pradesh), Shri Baburam Nishad (Uttar Pradesh), Shri Shambhu Sharan Patel (Bihar), Shri Naresh Bansal (Uttarakhand), Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh) and Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra).

श्री राजीव भट्टाचार्य।

Need for fast, convenient and regular train connectivity between Agartala and Guwahati

श्री राजीव भट्टाचार्य (त्रिपुरा) : माननीय सभापति महोदय, आज शून्य काल में मौका देने के लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ। माननीय सभापति महोदय, मोदी जी के देश का प्रधान मंत्री बनने के बाद 'एक्ट ईस्ट' पॉलिसी को लेकर उत्तर-पूर्व भारत में जो डेवलपमेंट का काम किया गया है, इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी कनेक्टिविटी है, चाहे हाईवे कनेक्टिविटी हो, रेलवे कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो। इसमें जो 'हीरा' मॉडल है, वह हम लोगों को देखने को मिलता है। 2016 में पहली बार त्रिपुरा को ब्रॉडगेज कनेक्टिविटी से जोड़ा गया। आज अगरतला ही नहीं, बल्कि सबरूम तक को रेल कनेक्टिविटी से जोड़ कर मोदी जी ने इसे देश के अंतिम हिस्से तक जोड़ने का काम किया है। आज अगरतला से दिल्ली हो, बेंगलुरु हो, गुवाहाटी हो, कोलकाता हो, मोदी जी ने सभी जगहों को जोड़ने का प्रयास किया है।

आज आपके माध्यम से मैं रेलवे मिनिस्ट्री, भारत सरकार से मांग करता हूँ कि हमारे अगरतला और गुवाहाटी के बीच एक हाई स्पीड ट्रेन चलाई जाए। हमारा त्रिपुरा एक एजुकेशन हब है। हमारे यहां तीन मेडिकल कॉलेजेज हैं, आईटीआई है, एनआईटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी है, डेंटल मेडिकल कॉलेज है। इससे यहां जो स्टूडेंट्स हैं, उनको बड़ी सुविधा मिलेगी। हमारे यहां जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, वह भी बहुत प्रोत्साहित हो रहा है। इंडस्ट्री के क्षेत्र में चाहे हमारी रबर इंडस्ट्री हो या टी गार्डन हो, हमारे यहां त्रिपुरा बिजनेस सेंटर का हब भी बन रहा है। इसी तरह से गुवाहाटी में सेमी कंडक्टर का हब बन रहा है। इन सब को मिला कर, चाहे हमारे स्टूडेंट्स हों, यूथ हो, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में कृषक हो, आम नागरिक हो, पेशेंट्स हों, यह सुपर फास्ट ट्रेन देने से हमारे सभी समुदाय के लिए यह एक बहुत बड़ा योगदान होगा। आज त्रिपुरा में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। खास करके त्रिपुरा tourism sector में अभी rising State है। हम लोगों ने अभी देखा है। अरुणाचल से त्रिपुरा तक जोड़ने वाला पूरे उत्तर-पूर्वांचल में

एक tourism circuit किया है। इसलिए मैं मानता हूँ कि गुवाहाटी और अगरतला के बीच में एक सुपरफास्ट ट्रेन चलाई जाएगी, तो ये सारी सुविधाएं हम लोगों को मिलेंगी। मैं आपके माध्यम से यही मांग करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Rajib Bhattacharjee: Shri Mayankkumar Nayak (Gujarat), Shrimati Maya Naroliya (Madhya Pradesh), Shri Shambhu Sharan Patel (Bihar), Shrimati Darshana Singh (Uttar Pradesh), Shri Baburam Nishad (Uttar Pradesh), Shri Kanad Purkayastha (Assam), Shrimati Rajathi (Tamil Nadu), Shri Niranjana Bishi (Odisha), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur) and Shri Harsh Vardhan Shringla (Nominated).

Hon. Members, please keep silence when one of the Members is speaking. This is my humble request to all of you. Shrimati Rajathi.

Need for Central assistance to divert surplus Cauvery Water to Ponnaniyar Dam and Kannuthu Tank in Tamil Nadu

SHRIMATI RAJATHI (Tamil Nadu): &Hon. Chairman Sir, Vanakkam! I would like to draw your kind attention to the urgent need to improve water resource infrastructure serving the farming community in the Manapparai region of Southern part of Tiruchirappalli district.

The Ponnaniyar Dam, located in Kadavur Taluk of Karur district, and Kannuthu Tank in Manapparai Taluk have experienced a significant decline in water inflow over the past few years due to various reasons. This reduction has severely affected irrigation facilities covering 2,834 acres. It has affected groundwater resources also. As a result, farmers who depend on these two water bodies for their livelihood are facing immense hardships. To address this issue, a proposal has been formulated to conduct surveys, land-leveling assessments, and subsoil investigations in order to evaluate the technical feasibility of diverting surplus floodwater from the Kaveri River to the Ponnaniyar Dam and Kannuthu Tank through appropriate pumping systems. An estimate of ₹83.00 lakhs has been prepared to undertake these preliminary studies. If implemented, this project would greatly benefit the villages in the region. It would ensure reliable irrigation facilities for thousands of acres of agricultural land and improve groundwater recharge and management. Based on the above, and

& English translation of the original speech delivered in Tamil.

considering the welfare of farmers and regional water security, I request the Ministry of Jal Shakti to grant expeditious approval to this important project and allocate the necessary funds.

Sir, the objective of this project is to regulate and divert a specified quantity of surplus floodwater to the Ponnaniyar Dam and Kannuthu Tank. This initiative would utilize excess Cauvery water that would otherwise flow unused into the sea. The project would safeguard the livelihoods of thousands of farmers who are currently struggling with water scarcity. They are in debt due to failure of agriculture. To expedite the implementation of this scheme, I request the Union Government to include this alternative project under the Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) and provide special financial assistance. This is a longstanding demand. As the region is full of villages, agriculture is their only source of income. People's livelihood is solely based on agriculture. In order to protect agricultural lands and to enable the farmers to live without loan, this project has to be implemented as expeditiously as possible. It may enhance the standard of living of farmers. Therefore, Sir, I request the Union Government, through you, to consider my demand. I hope the Union Government will do the needful. Thank you.

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shrimati Rajathi: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri Saket Gokhale (West Bengal), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Shri P. Wilson (Tamil Nadu) and Shri A. A. Rahim (Kerala).

Dr. Bhagwat Karad.

Need for diversion of water from the Sahyadri Range to the Godavari and Krishna Basins to address drought in Marathwada

डा. भागवत कराड (महाराष्ट्र): माननीय सभापति महोदय, आज मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का जो समय दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय सभापति महोदय, महाराष्ट्र राज्य में मराठवाड़ा एक क्षेत्र है, जिसकी आबादी 2 करोड़ है। यह क्षेत्र 17 सितम्बर, 1945 को आजाद हुआ था। As compared to other parts of Maharashtra, यह एक अविकसित क्षेत्र माना जाता है। मैं आपके सामने भारत की जल-न्याय व्यवस्था के जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय लेकर खड़ा हूँ।

माननीय सभापति महोदय, यह विषय किसानों के भविष्य के संबंध में है। यह विषय ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था और आने वाली पीढ़ियों की जीवन का विषय है। मेरा विषय है -



सहाद्री पर्वतमाला के निकलने वाला जल, जो हर साल सीधा अरब सागर में समा जाता है। यह जल 100 TMC तक है। यह जल गोदावरी और कृष्णा नदी के बेसिन में scientific-technical way के माध्यम से divert करना जरूरी है।

माननीय सभापति महोदय, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बेसिन क्षेत्र में पानी की वजह से किसान का उत्पादन कम है। लोग पीने के पानी के लिए टैंकर पर निर्भर हैं। खेत सूखे हैं, डैम सूख रहे हैं और underground पानी का level 350 फीट से भी नीचे होता जा रहा है। यह भी सत्य है कि एक जगह बाढ़ तो दूसरी जगह सूखा है। एक जगह लाखों लीटर पानी अरब सागर में जा रहा है, तो दूसरी जगह किसान पानी की बूंद के लिए बादल की तरफ देख रहे हैं। यह परिस्थिति बदलनी है, तो साइंटिफिक और टेक्निकल दृष्टि से काम करना जरूरी है। माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प लेते हुए बहुत ही अच्छे काम हो रहे हैं, जैसे नदी जोड़ प्रकल्प में केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, जिसमें मध्य प्रदेश का पानी उत्तर प्रदेश में स्थानांतरित किया जा रहा है, जलमार्ग बन रहे हैं, बड़े-बड़े टनल्स बन रहे हैं, बड़े-बड़े ब्रिजेज बन रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से माँग करता हूँ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों को मिल कर अरबी समुद्र में जाने वाला पानी गोदावरी और कृष्णा बेसिन में डायवर्ट किया जाना चाहिए, जिसमें अलग-अलग प्रोजेक्ट्स हैं - दमणगंगा-पिंजल प्रोजेक्ट, नार-पार-गिरणा प्रोजेक्ट, पार-गोदावरी प्रोजेक्ट, दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी प्रोजेक्ट, दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी प्रोजेक्ट - ये प्रोजेक्ट्स पूरे होने के बाद सूखा मराठवाड़ा हरित और समृद्ध मराठवाड़ा बनेगा, खेती के लिए काफी मात्रा में पानी रहेगा, बाढ़ पर नियंत्रण होगा, टैंकर मुक्त मराठवाड़ा होगा, किसान की इनकम बढ़ेगी, आर्थिक मागास मराठवाड़ा, विकसित मराठवाड़ा बनेगा। जल संरक्षण ही राष्ट्र संरक्षण है। आज जल संरक्षण करने से जीवन रक्षण होगा और समृद्ध, विकसित भारत बनेगा। धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Dr. Bhagwat Karad: Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shrimati Rajathi (Tamil Nadu), Dr. Sikander Kumar (Himachal Pradesh), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Dr. Kavita Patidar (Madhya Pradesh), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh) and Dr. Medha Vishram Kulkarni (Maharashtra).

Shri Sukhendu Sekhar Ray; not present. Shri Mithlesh Kumar.

Demand for restoration of the District Hospital at Shahjahanpur in Uttar Pradesh

श्री मिथलेश कुमार (उत्तर प्रदेश): आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिला अस्पताल के संबंध में



दिलाना चाहता हूँ। शाहजहांपुर जिला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज की ओपीडी चलाए जाने के कारण जिला अस्पताल का अस्तित्व समाप्त हो गया है, जबकि प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक जिला अस्पताल होना आवश्यक है। जो पहले का जिला अस्पताल है, जिसमें मेडिकल कॉलेज की ओपीडी चलाई जा रही है, उससे मेडिकल कॉलेज की दूरी आठ किलोमीटर है। जिससे प्रोफेसर तथा छात्रों को आने-जाने में दिक्कत होती है। शाहजहांपुर के जिग्नेरा में मेडिकल कॉलेज बना है, वहाँ पर जमीनें खाली पड़ी हैं तथा मेडिकल कॉलेज का ओपीडी तथा अन्य भवन बनाया जाना आवश्यक है। जिला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज की ओपीडी चलाए जाने के कारण शाहजहांपुर के लोगों का निःशुल्क इलाज नहीं हो पा रहा है। मेडिकल कॉलेज का भवन बन जाने से जिला अस्पताल पूर्व की भांति कार्य करने लगेगा।

महोदय, मैं सदन के माध्यम से माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विकास कार्यों में जिस तरह देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य हो रहा है, वह अत्यंत सराहनीय है, अतः जनहित में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुचारु रूप से बनाए रखने हेतु शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की खाली पड़ी जमीन पर मेडिकल कॉलेज का ओपीडी तथा अन्य आवश्यक भवन बनाया जाए तथा शाहजहांपुर में बने मेडिकल कॉलेज में सी.सी. यूनिट, न्यूरो विभाग, हृदय रोग विभाग, एमआरआई, सीटी स्कैन, कैंसर संबंधी विभाग खोलने के लिए आधुनिक सुविधाओं की कमी को पूरा करते हुए डॉक्टर तथा नर्सों की तैनाती की कृपा करें।

मान्यवर, मैं हर्ष के साथ बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री, आदरणीय श्री जे. पी. नड्डा जी के द्वारा शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई थी और पिछले सत्र में जब माननीय मनसुख मांडविया जी स्वास्थ्य मंत्री थे, तो उन्होंने सदन में घोषणा की थी कि जहाँ पर जिला अस्पताल नहीं है, वहाँ पर पीपी मॉडल से हम हर जिले में जिला अस्पताल बनाएँगे, तो मैं माननीय मंत्री जी से माँग करता हूँ कि शाहजहांपुर में या तो जिला अस्पताल का नया भवन बनाने का कृपा करें या मेडिकल कॉलेज की ओपीडी बनाने की कृपा करें। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Mithlesh Kumar: Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Niranjana Bishi (Odisha), Shrimati Rajathi (Tamil Nadu), Dr. Sikander Kumar (Himachal Pradesh) and Shrimati Darshana Singh (Uttar Pradesh).

श्री संजय सिंह।

**Need to address the grievances of selected youth awaiting joining in the Indian
Army and the Indian Air Force**

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): मान्यवर, आपने मुझे इस अति महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। मान्यवर, भारतीय सेना देश का गौरव है। भारतीय सेना में भर्ती होना, एक नौजवान का सपना होता है। 2019 से लेकर 2022 तक थल सेना के लिए देश के नौजवानों ने शारीरिक परीक्षण दिया, चिकित्सीय परीक्षण दिया और उन्होंने वे परीक्षाएँ पास कीं। उन नौजवानों की संख्या 1,23,000 थी। इसी तरीके से, वायुसेना के लिए लगभग 7,000 नौजवानों ने परीक्षा पास की। लेकिन, बड़े अफसोस के साथ मैं आपके माध्यम से इस सरकार को बताना चाहता हूँ कि आज वे नौजवान अवसाद में हैं, निराशा में हैं, पीड़ा में हैं, दुःख में हैं कि उनको आज तक सेना में भर्ती की अंतिम चिट्ठी नहीं मिली है। वे उस चिट्ठी की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

मान्यवर, भारतीय सेना में हरियाणा का नौजवान, राजस्थान का नौजवान, उत्तर प्रदेश का नौजवान, पंजाब का नौजवान, बिहार का नौजवान और देश के अलग-अलग हिस्सों का नौजवान बड़ी हिम्मत के साथ भर्ती होता है। उसकी माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है और वह सुबह दौड़ लगाता है। वह सेना में इस सपने के साथ भर्ती होता है कि अगर -50 डिग्री टेंपरेचर में भी सियाचीन में भारत माता की रक्षा करने की जरूरत पड़ी, तो हम अपने प्राणों की आहुति देंगे। अगर +50 डिग्री टेंपरेचर में भी जैसलमेर में खड़े होकर भारत माता की रक्षा करने की जरूरत पड़ी, तो हम अपने प्राणों की आहुति देंगे, लेकिन आपने अग्निवीर जैसी योजना लाकर भारतीय सेना के साथ और भारत माता के साथ [£] करने का काम किया।

मान्यवर, मैं एक अंतिम बात कहकर अपनी बात को खत्म करूँगा। मान्यवर, हरेंद्र यादव नाम का सेना का एक जवान पिछले दिनों जौनपुर में मिला। वह अपनी पीड़ा, अपने दुःख को मेरे सामने रख रहा था। वह विपक्ष के नेताओं के सामने और सत्तापक्ष के तमाम नेताओं के सामने भी गिड़गिड़ाया, रोया। उसकी एक ही विनती थी कि सेना का जवान हाथ में बंदूक लेने के लिए बना है, सेना का जवान भारत की रक्षा करने के लिए बना है, लेकिन उस जवान से अधिकारियों के ट्रे उठवाए जाते हैं, सेवादारी करवाई जाती है। सेना में यह सेवादारी की प्रथा बंद होनी चाहिए। हमारे जवानों का सम्मान बरकरार रहना चाहिए। हमारा जवान देश की रक्षा के लिए है, भारत माता की रक्षा के लिए है, किसी अधिकारी का ट्रे उठाने के लिए नहीं है। वह हाथ में बंदूक उठाने के लिए है, दुश्मनों से लड़ने के लिए है।

मान्यवर, मैं इस हरेंद्र यादव की पीड़ा भी आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस भर्ती पर आपने रोक लगाई है और सारी परीक्षाएँ पूर्ण करने के बावजूद उनको ज्वाइनिंग का लेटर नहीं दे रहे हैं, तो उनको वह लेटर दीजिए। वे नौजवान, जिनकी सारी परीक्षाएँ आपने पूरी कर ली हैं, उन नौजवानों की आप भर्ती कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[£] Expunged as ordered by the Chair.

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Sanjay Singh: Shri A. A. Rahim (Kerala), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Gurwinder Singh Oberoi (Jammu & Kashmir), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri Saket Gokhale (West Bengal), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Shrimati Sagarika Ghose (West Bengal), Shri Imran Pratapgarhi (Maharashtra), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Shri Sant Balbir Singh (Punjab), Dr. Ashok Kumar Mittal (Punjab), Shri Subhasish Khuntia (Odisha), Shri Narain Dass Gupta (NCT Delhi), Shri Pramod Tiwari (Rajasthan), Shri Mallikarjun Kharge (Karnataka), Shri Neeraj Dangi (Rajasthan), Shrimati Phulo Devi Netam (Chhattisgarh), Ms. Dola Sen (West Bengal), Shri Khiru Mahto (Bihar), Prof. Ram Gopal Yadav (Uttar Pradesh), Shri Javed Ali Khan (Uttar Pradesh), Shri Prem Chand Gupta (Bihar), Shri Sanjay Yadav (Bihar), Shri Derek O' Brien (West Bengal) and Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra).

Shri Sajjad Ahmad Kichloo.

Need to strengthen the healthcare infrastructure in Jammu and Kashmir

श्री सज्जाद अहमद किचलू (जम्मू-कश्मीर): सर, मैं हाउस की तबज्जो एक अहम मसले की तरफ ले जाना चाहता हूँ। जनाबे आला, जम्मू के कई बच्चे मेवाड़ यूनिवर्सिटी, राजस्थान में जैरे-तालीम हैं। उनमें से 33 बच्चे बीएससी नर्सिंग कोर्सेज में एडमिशन के लिए मुतालबा करते थे। *

MR. CHAIRMAN: You first take your seat. ...*(Interruptions)*... Ask him to take his seat. ...*(Interruptions)*... First you take your seat. ...*(Interruptions)*... No, no. ...*(Interruptions)*... बैठिए, I will look into it. ...*(Interruptions)*... Hon. Members, you please take your seat. ...*(Interruptions)*...

श्री सज्जाद अहमद किचलू :*

MR. CHAIRMAN: You please come to your subject. ...*(Interruptions)*... Do not deviate from that. Please come to your subject. ...*(Interruptions)*...

श्री सज्जाद अहमद किचलू : सर, *

MR. CHAIRMAN: I am dealing. ...*(Interruptions)*... I am dealing with it. ...*(Interruptions)*... You please take your seat. ...*(Interruptions)*... Please take your

* Not recorded.

seat. ...*(Interruptions)*... Do not deviate from your subject please. ...*(Interruptions)*... If you have deviated, then, it will be expunged. ...*(Interruptions)*...

The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Sajjad Ahmad Kichloo: Shrimati Phulo Devi Netam (Chhattisgarh), Ms. Dola Sen (West Bengal), Shri Neeraj Dangi (Rajasthan), Shri Narain Dass Gupta (NCT Delhi), Shrimati Rajani Ashokrao Patil (Maharashtra), Dr. Syed Naseer Hussain (Karnataka), Shri A. A. Rahim (Kerala), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Niranjana Bishi (Odisha), Shri Saket Gokhale (West Bengal), Dr. John Brittas (Kerala), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Shri Imran Pratapgarhi (Maharashtra), Shri Gurwinder Singh Oberoi (Jammu & Kashmir), Shri Sanjay Yadav (Bihar), and Shri Haris Beeran (Kerala).

Now, Dr. K. Laxman.

Demand for expansion and strengthening of PM Vishwakarma Scheme

DR. K. LAXMAN (Uttar Pradesh): Thank you Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity to speak on an important scheme called Pradhan Mantri Vishwakarma, which was most successful and the dream of our *puiya* Babuji Mahatma Gandhi, making the Gram as *Gram Swarajya* and *Ramarajya*. Sir, it was a landmark initiative launched under the visionary leadership of hon. Prime Minister, Narendra Modi ji, with a noble *mantra* of “*Samman, Samarthya and Samridhi*”. This scheme is not only an example for the Government's unwavering commitment to empowering the rural poor, more particularly, the marginalized sections and the weaker sections of the society. For decades, at the backbone of our rural and informal economy, our artisans remained outside formal recognition. पिछली सरकारों ने इन वर्गों को किस तरह से — गाँवों में जो 18 प्रकार के परम्परागत कारीगर होते हैं, जिनमें सुतार, सुनार, राजमिस्त्री, लोहार, मूर्तिकार, कुम्हार, नाई, मालाकार, धोबी दर्जी आदि आते हैं, इन वर्गों के हित के लिए मोदी जी ने जो योजनाएं बनाई, उन योजनाओं के माध्यम से देश भर में लगभग 30 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं, जो कि कल हमारे माननीय मंत्री जी बता रहे थे।

Sir, through this comprehensive support, including skill up-gradation, modern toolkits, collateral-free credit, digital transaction incentives, brand promotion and market linkages, the Government ensured that these artisans are seamlessly integrated into the main-stream of the country and moreover they are the real economic developers of this rural economy.

Sir, these achievements are remarkable. The scheme has crossed 30 lakh registrations by 2025--three years ahead of this programme. Importantly, 54 per cent of them belong to OBCs and almost 27 per cent belong to SCs, STs and even the Minorities also got benefited through this scheme. In my State of Telangana, more than 89,000 artisans have registered, and over 63,000 have completed skill training, supported by 5,040 skilling centers nationwide. This demonstrates the tremendous trust people have in these Government policies. This Pradhan Mantri Vishwakarma is not merely a scheme, it is a civilized revival mission of *Bharat*. Sir, in this context, through you, I request the Government to consider the expanding of the scheme into a robust Phase-II. It is because people are eagerly waiting for the scheme to be continued, so that more such people are eager to get the benefit and India's craftsmen continue to remain integral partners in our journey towards *Viksit Bharat 2047*.

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Dr. K. Laxman: Dr. Radha Mohan Das Agrawal (Uttar Pradesh), Shri Mayankkumar Nayak (Gujarat), Shri Sadanand Mhalu Shet Tanavade (Goa), Shri Niranjana Bishi (Odisha), Shri Satnam Singh Sandhu (Nominated), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shrimati Darshana Singh (Uttar Pradesh), Shriman Kanad Purkayastha (Assam), Dr. Bhim Singh (Bihar), Shri Rungwra Narzary (Assam), Shri Madan Rathore (Rajasthan), Shri Sat Paul Sharma (Jammu & Kashmir), Shri Brij Lal (Uttar Pradesh), Shri Ratanjit Pratap Narain Singh (Uttar Pradesh), Shri Neeraj Shekhar (Uttar Pradesh), Shri Surendra Singh Nagar (Uttar Pradesh), Dr. Kavita Patidar (Madhya Pradesh), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh), Shri Subhasish Khuntia (Odisha), Shri Sujeet Kumar (Odisha), and Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh).

Shriman Sant Balbir Singh.

Concern over the changing routes of Human Trafficking and the plight of Indian nationals abroad

SHRI SANT BALBIR SINGH: &Hon. Chairman Sir, thank you for giving me this opportunity. Sat Shri Akal to all the hon. Members. I rise to highlight a matter of urgent public importance — the changing routes of human trafficking and the grave plight of Indians stranded abroad. In search of livelihood, lakhs of our citizens migrate

& English translation of the original speech delivered in Punjabi.

overseas. Through their sweat and sacrifice, they earn respect for India and sustain their families and villages through remittances. Unfortunately, this aspiration has also been exploited by unscrupulous travel agents who have built an organised, transnational trafficking network. Poor and vulnerable women are the primary targets. They are enticed with false promises of decent jobs and are moved through routes involving Oman and Iraq, often transiting via Mumbai. They leave on tourist visas. Once they reach the destination, contracts written in Arabic are forced upon them — papers they cannot read or understand. Their passports are confiscated, their movement is restricted, and many face sexual exploitation, torture and inhuman treatment. With the intervention of our missions and the Indian High Commission, 135 women have been rescued so far. Recently, four girls were brought back, three of them from Punjab. One survivor, trafficked at the age of sixteen and now eighteen, has spoken of extreme abuse and has revealed that girls from poor and illiterate families are systematically trapped. Sir, their testimonies indicate that the network which earlier operated from Delhi has now shifted towards Mumbai airport and functions at an international scale. I, therefore, urge the Government to act with an iron hand and give a firm assurance to the House regarding a nationwide crackdown on illegal travel agents.

Sir, I also wish to raise concern about Indians affected by the ongoing conflict between Russia and Ukraine. Reports suggest that many Indians have been drawn into Russian military service, and several families have already received the bodies of their loved ones. As per figures available till December 2025, hundreds are believed to be in Russian army and more than two dozen have lost their lives. The Government must intensify diplomatic and consular efforts to prevent exploitation, ensure safe return, and support affected families. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Sant Balbir Singh: Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Niranjana Bishi (Odisha), Shri Saket Gokhale (West Bengal), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala), Ms. Dola Sen (West Bengal), Shri Narain Dass Gupta (NCT Delhi), Shri Sanjay Yadav (Bihar), Shri A.A. Rahim (Kerala), and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

Dr. Meenakshi Jain.

Concern over the increasing incidents of vandalism at protected Heritage Sites

DR. MEENAKSHI JAIN (Nominated): Sir, I would like to highlight the serious threat to our heritage sites from acts of vandalism. These attacks have increased in recent times. Hampi was the capital of the great Vijayanagar Empire which ruled from the 14th to 16th century. It is spread over 16 square miles. It is regarded as one of the world's largest cities in medieval times. Many foreign visitors wrote about Hampi and its grandeur. The site contains a number of temples and many other structures including forts, mandaps and pillared halls. In 1986, Hampi was declared a UNESCO World Heritage Site. Unfortunately, some tourists who visit the site are not adequately informed of the historic significance of the site and they resort to acts of desecration. A group recently broke a monumental pillar located outside a temple at that site. While three men engaged in uprooting the pillar, a fourth accomplice filmed the incident. The Archaeological Survey of India has issued a statement that they will reinforce the pillars at the temples so that it is not easy to vandalize them in future. Such acts of vandalism are reported from many other parts of India. Eran in Madhya Pradesh is a city that dates back to the Gupta period. It has the country's largest monolithic image of the Varaha incarnation of Vishnu. It has intricate carvings on its body. It is dated to the 5th-6th century. Recently, a tourist stood on the pedestal of the image with his shoes on and had himself photographed by friends. He also tried to mount the image but failed because of the height of the image. There are so many such instances, but when asked why they did this, people said that they had no idea of the historical significance of the temple. They just regarded it as a place for outing. Such acts point to the need to inform and educate tourists on the importance of the site they are visiting and it is their duty to help in its preservation. It may be considered that the guards and guides posted at the temple at those sites can help sensitize the visitors of the historical importance of these sites. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Dr. Meenakshi Jain: Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Niranjana Bishi (Odisha), Shri Gulam Ali (Nominated), Shri Sat Paul Sharma (Jammu & Kashmir), Shri Khiru Mahto (Bihar), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Dr. Kavita Patidar (Madhya Pradesh), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Shrimati Sudha Murty (Nominated), Dr. Bhim Singh (Bihar), Shri Kartikeya Sharma (Haryana), Shri Sujeet Kumar (Odisha), Shri Harsh Vardhan Shringla (Nominated), Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra), Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh), Dr. Medha Vishram Kulkarni (Maharashtra), Shri A.A. Rahim (Kerala), Dr. Sasmit Patra (Odisha) and Shri R. Girirajan (Tamil Nadu).

Shrimati Rekha Sharma.

**Need for strengthening the institutional memory in the
National Commission for Women**

SHRIMATI REKHA SHARMA (Haryana): Hon. Chairman, Sir, through you, I draw the attention of this august House to an important issue concerning the institutional memory of the functioning of Statutory Commissions. Sir, these Commissions play a crucial role in safeguarding the rights of people, addressing grievances, advising Governments and making policies. Over the years, they handled thousands of individual cases, inquiries, recommendations and policy interventions. However, like many statutory bodies, these Commissions face a challenge arising from frequent changes in leadership, members, officers and support staff. While these transitions are natural part of the institutional functioning, they can, sometime, result in loss of continuity in long pending cases. Repetition of earlier policy deliberations, delay in follow-up on recommendations already made. Sir, this is not criticism. It is an institutional design issue that deserves attention of the Commission's accumulated experiences is not lost in such transitions. Hon. Chairman, Sir, these issues are often very complex, long-term and intergenerational. They require sustained engagements, historic context and continuity of approach. Safeguarding institutional memory will enhance the Commission's efficiency and credibility. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shrimati Rekha Sharma: Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri Satnam Singh Sandhu (Nominated), Shri Sujeet Kumar (Odisha), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Dr. Meenakshi Jain (Nominated), Shrimati Darshana Singh (Uttar Pradesh), Dr. Kavita Patidar (Madhya Pradesh), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Dr. Bhim Singh (Bihar), Shri Gulam Ali (Nominated), Shri Amar Pal Maurya (Uttar Pradesh), Shri Ryaga Krishnaiah (Andhra Pradesh), Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shri Harsh Vardhan Shringla (Nominated), Sat Paul Sharma (Jammu & Kashmir), Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh), Shrimati Geeta alias Chandraprabha (Uttar Pradesh), Dr. Sasmit Patra (Odisha) and Shri R. Girirajan (Tamil Nadu).

Now, Shri Derek O'Brien.

Need for a Universal Basic Minimum Wage

SHRI DEREK O' BRIEN (West Bengal): Sir, today, I am making a proposal for a universal basic minimum wage. Sir, why am I making this proposal? There are many reasons. One in three youth are not in employment, education or training. And, even those who have jobs, there is no minimum wage flow. And, the national wage flow effectively, over the last decade, is stagnant at about Rs.176 a day. So, low wage depressed consumption and lock workers into working poverty. So, with this background, the solution I am suggesting is a single legally enforceable universal basic minimum wage flow, below which no worker can be paid, irrespective of sector, irrespective of contract type and irrespective of where the person works. Since, the Union Government loves acronyms -- so many acronyms -- I thought we should also come up with a name for this and it is Universal Minimum Annual National Guarantee. Universal Minimum Annual National Guarantee which means 'UMANG'. Sir, there are four points to be kept in mind if you introduce 'UMANG'. One, notify a binding national flow wage under the wage law. Two, index it automatically to inflation and revise it annually. Simplify the rates and categories for easy compliance and this has to go to all kinds of workers, say, contract workers, gig workers, and, most importantly, where the action is or the solution is needed, that is, the unorganized sector. Sir, there are many examples of State Governments. Another scheme that will begin very soon is the Bangla Yuva Sathi, which is available to individuals aged 21 to 40. If you finished class 10 and you don't have a job for five years, 1500 rupees goes into your bank account. No questions asked, Sir! And, we are doing this in Bengal, which, in any case, is in the top five when it comes to lowest unemployment rates. And, in these top five for lowest unemployment, three are Opposition-ruled States - Karnataka, Jharkhand and Bengal. Two of the five are BJP-ruled States. Sir, this is a suggestion, as I said. Don't copy State Governments; be inspired by State Governments. So, I want them to be inspired and introduce 'UMANG'. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Derek O' Brien: Shri Prakash Chik Baraik (West Bengal), Shri Niranjana Bishi (Odisha), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Saket Gokhale (West Bengal), Shrimati Rajathi (Tamil Nadu), Shrimati Sagarika Ghose (West Bengal), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Shri Imran Pratapgarhi (Maharashtra), Dr. P. Wilson (Tamil Nadu), Shri Haris Beeran (Kerala), Ms. Dola Sen (West Bengal), Shri Subhasish Khuntia (Odisha), Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra), Shri Narain Dass Gupta (NCT Delhi), Prof. Ram Gopal Yadav (Uttar

Pradesh), Shri Prem Chand Gupta (Bihar), Shri Sanjay Yadav (Bihar), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu) and Shri Javed Ali Khan (Uttar Pradesh).

Concern over threat to Kashmir's horticulture industry due to harmful agro-chemicals and apple imports

श्री चौधरी मोहम्मद रमज़ान (जम्मू-कश्मीर): सर, मैं इस हाउस की तवज्जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मसले की तरफ लाना चाहता हूँ, वह यह है कि जम्मू-कश्मीर एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। अगर हम एग्रीकल्चर और उसके एलाइड सेक्टर्स पर नजर डालेंगे, तो ये वहाँ की करीब-करीब 21 परसेंट जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। खास तौर पर, जो हॉर्टीकल्चर इंडस्ट्री है, उसका जीडीपी में नौ परसेंट कंट्रीब्यूशन है। एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर करीब-करीब 18 हजार करोड़ और horticulture alone contributes Rs. 10,000 crores to the State's economy.

महोदय, मैं यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि इस एग्रीकल्चर सेक्टर पर 70 परसेंट पॉपुलेशन डिपेंडेंट है। इसमें से सिर्फ हॉर्टीकल्चर सेक्टर सात लाख फैमिलीज़ को फीड करता है, जिसमें करीब-करीब 35 लाख लोग आते हैं। हॉर्टीकल्चर इंडस्ट्री हमारे लिए ऑपशनल नहीं है, बल्कि हमारे सर्वाइवल के लिए बैकबोन है। मैं यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि रिपोर्ट्स यह कहती हैं कि जम्मू-कश्मीर में जो भी पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, फंगीसाइड्स आते हैं, वे सबस्टैंडर्ड होते हैं। इससे सॉइल हेल्थ पर भी असर पड़ता है, क्रॉप यील्ड के साथ क्रॉप्स भी खत्म होती हैं। साथ ही, हॉर्टीकल्चर बेस्ड प्लांट एंड ट्रीज़ भी इससे मुतास्सिर होते हैं। मेरी गुजारिश है कि जब भी ऐसे कोई इनपुट्स रियासत-ए-जम्मू-कश्मीर की सरहदों में आएँ या हिमाचल प्रदेश या महाराष्ट्र में जो फूड ग्रोइंग एरियाज़ हैं, वहाँ पर पूरी तरह से क्वालिटी कंट्रोल होने के बाद ही ये इनपुट्स वहाँ पर आने चाहिए।

MR. CHAIRMAN: Shrimati Rajani Ashokrao Patil, please go to your seat. You are walking here and there.

श्री चौधरी मोहम्मद रमज़ान: दूसरी बात, लेटली आप टर्की, ईरान, इटली, पोलैंड और यूएसए से एप्पल इम्पोर्ट करते हैं। इसी तरह से, चैरीज़ चिली और ईरान से, किवी ईरान, न्यूजीलैंड और चिली से इम्पोर्ट करते हैं। अब यूएसए के साथ ट्रेड डील भी हो गई है। इसमें आपने कुछ एग्रीकल्चर क्रॉप्स को प्रोटेक्ट किया है, लेकिन ऐसा कोई भी सेफगार्ड नहीं रखा है कि हम कंट्री में जो फूट्स पैदा करते हैं, चाहे वह एप्पल हो, नाशपाती हो या कोई भी फूट हो, उसके लिए कोई खास मैकेनिज्म नहीं रखा गया है। मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि एक तो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए और यह जो ट्रेड डील हुई है।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Chowdry Mohammad Ramzan: Shri A.A. Rahim (Kerala), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. John

Brittas (Kerala), Shri Gurwinder Singh Oberoi (Jammu & Kashmir), Shrimati Rajathi (Tamil Nadu), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri Niranjana Bishi (Odisha), Shri Saket Gokhale (West Bengal), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Shri Imran Pratapgarhi (Maharashtra) and Ms. Dola Sen (West Bengal).

Shriman Ramji Lal Suman.

Concern over the protests against the installation of statues of Dr. B. R. Ambedkar in various parts of the country

श्री रामजी लाल सुमन (उत्तर प्रदेश): सभापति महोदय, मैं सबसे पहले भारत रत्न बाबा साहेब डा. अम्बेडकर की स्मृति को प्रणाम करना चाहता हूँ। सभापति जी, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ग्वालियर में है, वहाँ जो सामाजिक संगठन थे, सामाजिक न्याय को समर्पित संगठन थे एवं अधिवक्ता थे, जो बाबा साहेब डा. अम्बेडकर को आदर्श मानते थे, वे लम्बे समय से चाहते थे कि जो ग्वालियर हाईकोर्ट की खण्डपीठ है, उस परिसर में बाबा साहेब डा. अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित हो। सभापति महोदय, एक लम्बे समय तक संघर्ष करने बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने 11 मार्च, 2025 को इसकी अनुमति प्रदान कर दी और यह तय हो गया कि 17 मई को महामहिम राज्यपाल और मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उस प्रतिमा को स्थापित करेंगे। सभापति महोदय, 14 मई को उस मूर्ति को न्यायालय परिसर में जाना था, तो तमाम लोगों ने उसका विरोध कर दिया और विरोध करने के बाद उस मूर्ति को प्रवेश नहीं होने दिया। ग्वालियर खण्डपीठ परिसर में उसका विरोध हुआ और इसका परिणाम यह हुआ कि महामहिम राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश का वह कार्यक्रम स्थगित हो गया। सभापति महोदय, लोग वहाँ एक लंबे समय से बाबा साहेब डा. अम्बेडकर की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। *...(व्यवधान)... ये वही लोग थे, जिन्होंने 1949 में रामलीला मैदान में बाबा साहेब डा. अम्बेडकर का पुतला जलाया।...(व्यवधान)... सभापति महोदय, ये वही लोग हैं।...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Please come back to your subject. Do not provoke anybody.

श्री रामजी लाल सुमन: *महोदय, मैं बहुत विनम्रता के साथ आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूँ। मैं राज्य सरकार की शक्तियों को समझता हूँ। * यह बहुत गंभीर मामला है। करोड़ों लोगों की भावनाएं बाबा साहेब डा. अम्बेडकर के साथ जुड़ी हैं। लोग चाहते हैं कि वहाँ प्रतिमा की स्थापना हो।...(व्यवधान)...सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत एक ही निवेदन करना चाहूंगा। लोग शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से वहाँ आंदोलन कर रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Ramji Lal Suman: Shri A.A. Rahim (Kerala), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shrimati Rajathi (Tamil Nadu), Shri Niranjana Bishi

* Not recorded.

(Odisha), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Golla Baburao (Andhra Pradesh), Shri Saket Gokhale (West Bengal), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shri Sanjay Singh (NCT Delhi), Shri Narain Dass Gupta (NCT Delhi), Shri Pramod Tiwari (Rajasthan), Dr. John Brittas (Kerala), Shrimati Sagarika Ghose (West Bengal), Ms. Dola Sen (West Bengal), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Shri Javed Ali Khan (Uttar Pradesh) and Prof. Ram Gopal Yadav (Uttar Pradesh).

Shriman Neeraj Dangi.

Demand for restoration of travel concessions for journalists by Indian Railways as provided prior to the COVID-19 pandemic

श्री नीरज डांगी (राजस्थान): आदरणीय सभापति महोदय, मुझे ज़ीरो आवर में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Why are you standing? Let him speak.

श्री नीरज डांगी: मैं इस सदन का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण, संवेदनशील एवं जनहित से जुड़े हुए विषय की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। ...(व्यवधान)... यह विषय देश के लोकतांत्रिक ढांचे के चौथे स्तम्भ पत्रकारिता से संबंधित है। कोविड-19 महामारी से पूर्व भारतीय रेल द्वारा पत्रकारों को दी जाने वाली यात्रा रियायतें महामारी के दौरान स्थगित कर दी गई थीं, जो उस समय की परिस्थितियों में एक अस्थायी एवं व्यावहारिक निर्णय था। किंतु खेद का विषय यह है कि देश में सामान्य स्थिति बहाल होने तथा सभी प्रकार की आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियां सुचारु रूप से प्रारंभ होने एवं अन्य श्रेणियों को दी जाने वाले रियायतें भी पुनः लागू होने के बावजूद पत्रकारों के लिए यह महत्वपूर्ण सुविधा आज तक बहाल नहीं की गई है।

सभापति महोदय, यह सर्वविदित है कि पत्रकार केवल समाचार संकलन तक सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि देश के दूर-दराज, दुर्लभ एवं संवेदनशील क्षेत्रों में जाकर आम नागरिकों की समस्याएं, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, आपदाओं, सामाजिक असमानताओं तथा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की निष्पक्ष रिपोर्टिंग करते हैं। कई बार उन्हें सीमित संसाधनों, जोखिमपूर्ण परिस्थितियों और समयबद्ध दबावों में काम करना पड़ता है। ऐसे में भारतीय रेल द्वारा दी जाने वाली यात्रा रियायतें किसी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं होकर, बल्कि उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायक एक आवश्यक सुविधा रही है।

माननीय सभापति महोदय, यह भी ध्यान देने योग्य है कि लोकतंत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित तभी सुनिश्चित हो सकता, जब पत्रकार निर्भय, स्वतंत्र और सुलभ साधनों के साथ कार्य कर सकें। पत्रकारों को यात्रा रियायतों से वंचित रखना अप्रत्यक्ष रूप उनकी कार्यक्षमता को सीमित करता है और यह स्थिति लोकतांत्रिक मूल्यों की भावना के अनुरूप नहीं

कही जा सकती है। विशेष रूप से छोटे एवं स्वतंत्र पत्रकार, ग्रामीण एवं क्षेत्रीय मीडिया से जुड़े संवाददाता इस निर्णय से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। लोकतंत्र सशक्त, जीवंत और उत्तरदायी तब ही रह सकता है, जब उनकी आवाज निर्भय, स्वतंत्र और निर्बाध हो सके।

अतः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एवं सदन के माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूँ कि कोविड-19 महामारी से पूर्व भारतीय रेल द्वारा पत्रकारों को प्रदान की जाने वाली सभी यात्रा रियायतों को तत्काल प्रभाव से पुनः बहाल किया जाए। मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए एक स्पष्ट, पारदर्शी एवं स्थायी नीति का निर्माण किया जाए, जिससे भविष्य में किसी भी आपात स्थिति में उनके अधिकारों एवं सुविधाओं की अनावश्यक समाप्ति न हो। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इस नीति का लाभ वास्तविक एवं सक्रिय पत्रकारों तक सरल प्रक्रिया के माध्यम से पहुंच सके।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Neeraj Dangi: Shri A.A. Rahim (Kerala), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri Saket Gokhale (West Bengal), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shrimati Rajathi (Tamil Nadu), Shri Mallikarjun Kharge (Karnataka), Dr. John Brittas (Kerala), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Shri Pramod Tiwari (Rajasthan), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Shri Imran Pratapgarhi (Maharashtra), Shri Haris Beeran (Kerala) and Shrimati Phulo Devi Netam (Chhattisgarh).

Shriman Rwngrwa Narzary.

Demand to implement the surface water-based (river source) drinking water supply in the northern areas of BTR district adjacent to Indo-Bhutan border of Assam

SHRI RWNGWRA NARZARY (Assam): Thank you, Sir, for giving me an opportunity to raise an important matter. The people residing in the Northern part of the BTR, Assam, adjacent to Indo-Bhutan border have been facing drinking water scarcity since long time. So, they are compelled to drink river water because of which villagers have fallen victims to some communicable diseases and non-communicable diseases such as TB, malaria, etc.

On the other hand, the Government Scheme, due to the geographical formation of this area comprising large boulders, gravels, and highly permeable strata, the installation of the conventional ground-based water sources, such as ring wells, cellulite wells, and hand pumps, is technically unfeasible.

Sir, the departmental study shows that the groundwater table in these areas lies at a depth ranging from 100 meter to 120 meter below ground level, and is observed to be declining at an alarming rate this year. Analysis of historical groundwater data from deep-tube wells of existing five water supply schemes indicates a consistent downward. Approximately 20 years ago, the groundwater table was at around 60-meter depth, which declined to about 70 meters a decade ago, and has now further fallen to depth ranging from 90 meters to 110 meters. Sir, it has been observed that the discharge from existing deep-tube wells is insufficient to meet the prescribed norm of 55 LPCD and the yield continues to decrease progressively this year. In many locations, the deep tube wells completely dry up during summer months leading to severe water scarcity. Considering the above facts, it can be reasonably concluded that if the strain continues, the deep tube wells in the region are likely to become entirely non-functional in the near future resulting in an acute water crisis affecting both human and livestock population. It is pertinent to mention that these border areas are predominantly inhabited by economically-weaker sections of society, making them highly vulnerable to water scarcity. In order to avoid the impending crisis and ensure sustainable access to safe drinking water, the implementation of surface water-based river source drinking water supply scheme is imperative. If such projects are implemented along the inter-States of villages adjacent to the Indo-Bhutan border, the drinking water problem for both humans and animals can be resolved on a long-term and sustainable basis.

In view of the persistent acute water scarcity across villages situated along the Indo-Bhutan border, in all the districts of the Bodoland Territorial Council, I strongly recommend to the Ministry of Jal Shakti, Government of India, to implement the surface water-based drinking water supply projects on priority. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shri Rwngrwa Narzary: Shri Harsh Vardhan Shringla (Nominated), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri A. A. Rahim (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shri Kanad Purkayastha (Assam), Shrimati Rajathi (Tamil Nadu) and Shri R. Girirajan, (Tamil Nadu). Ms. Swati Maliwal.

Concern over growing lack of civic sense and the need to strengthen sanitation and hygiene in public spaces

सुश्री स्वाति मालिवाल (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): चेयरमैन सर, एक डेवलपड नेशन की पहचान सिर्फ ऊंची इमारतों से ही नहीं, बल्कि उसकी साफ सड़कों और नागरिकों के व्यवहार से भी होती है। आज ज्यादातर शहरों की हालत देख लीजिए, सड़क पर कूड़ा, फुटपाथ पर चलने की जगह नहीं, पब्लिक टॉयलेट्स नॉन-फंक्शनल! इसमें कोई शक नहीं है कि फैले हुए कूड़े और गंदगी के लिए सीधे-सीधे राज्य सरकारें और नगर निगम जिम्मेदार हैं, लेकिन क्या देश को साफ रखना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है? क्या हम नागरिकों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? हम सब अपना घर कितना साफ रखते हैं, पर घर से बाहर निकलने पर वही सड़क कुछ लोगों को अपनी ही नहीं लगती। कई लोगों को मैंने देखा है, पार्क में चिप्स खाए, पैकेट वहीं छोड़ दिया; पानी की बोतल खत्म, सड़क पर फेंक दो; नई सफेद पेंट हुई दीवार दिखी, गुटका थूक दिया; ट्रेन में खाना खाया, कचरा सीट के नीचे; लाइन लगी है, तोड़ दो। सर, आप राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर खड़े हो जाइए, यहां धक्का अपने आप आपको ट्रेन के अंदर पहुंचा देता है और बाहर भी निकाल देता है। सर, पहाड़ों से वीडियोज़ आती हैं कि कुछ लोगों को बर्फ दिखी नहीं कि गाड़ी रोकी, बोतल खोली, तेज गाने चला कर कपड़े उतार कर डांस कर रहे हैं। सर, रिच और एजुकेटेड होना भी सिविक सेंस की गारंटी नहीं है। कई बार महंगी गाड़ियों के शीशे नीचे होते हैं और कूड़ा सीधे सड़क पर।

सर, हम विदेश जाकर कहते हैं कि "Wow, it is so clean." पर क्या वहां अलग लोग रहते हैं? नहीं, बस माइंडसेट अलग है। सर, जापान में बच्चे अपना क्लासरूम खुद साफ करते हैं। चाहे कूड़ा हाथ में लेकर पूरे दिन घूमना पड़ जाए, लेकिन वे उसको सड़क पर नहीं फेंकते, क्योंकि वे पब्लिक स्पेस को सरकारी नहीं, अपना घर मानते हैं। सर, हमारे देश के नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों को देखिए - No red light jumping, no honking, no chaos. सर, फेस्टिवल्स में ज़ीरो प्लास्टिक। सफाई वैल्यूज़ से आती है। इसके लिए मैं नॉर्थ-ईस्ट के लोगों को दिल से सलाम करना चाहती हूं।

सर, हम यह भी देखते हैं कि कई बार नेताओं के जन्मदिन पर पूरा शहर पोस्टरों से भर दिया जाता है। दीवारें और फ्लाइओवर्स भी कई बार खराब कर दिए जाते हैं। जब कानून बनाने वाले ही नियम तोड़ेंगे, तो आम नागरिक क्या सीखेगा! Sir, civic sense directly affects our tourism as well. हमारी हजारों साल पुरानी संस्कृति, सभ्यता, नेचुरल ब्यूटी, ऐतिहासिक इमारतें, वर्ल्ड फेमस खाना है, इसके बावजूद हमारे देश में पेरिस और वियतनाम से भी कम फॉरेन टूरिस्ट्स आ रहे हैं। सर, गंदगी और mismanagement की viral videos हमारी global image को खराब करती है। हमारे देश के ज्यादातर लोग अच्छे हैं, परन्तु कुछ लोगों की सोच बदलने की जरूरत है।

Sir, I demand — पहला, Civic Sense, Schools और colleges में curriculum और daily practice का हिस्सा बने। दूसरा, Rules तोड़ने पर fines हों और ईमानदारी से लागू किए

जाएं। तीसरा, Municipalities का बजट और accountability बढ़े। सर, देश को साफ रखना देशभक्ति है। जय हिंद!

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Ms. Swati Maliwal: Shri A. A. Rahim (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Niranjana Bishi (Odisha), Shri Subhasish Khuntia (Odisha), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shrimati Rajathi (Tamil Nadu), Shri Gurwinder Singh Oberoi (Jammu & Kashmir) and Shrimati Sudha Murty (Nominated).

Shri Prakash Chik Baraik.

Need for strengthening the Indo-Bhutan Joint River Commission

श्री प्रकाश चिक बाराईक (पश्चिमी बंगाल): महोदय, पश्चिम बंगाल के डुअर्स क्षेत्र, जिसमें जलपाईगुड़ी एवं अलीपुरद्वार जिले शामिल हैं, वहां हर वर्ष भूटान से निकलने वाली नदियां रायडाक, तोरसा, संकोश, बसरा, बनिया, पागली और रेती के उफान के कारण भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ता है। प्रतिवर्ष आने वाली यह बाढ़ वहां जान-माल की भारी क्षति करती है और कृषि पर निर्भर बड़ी आबादी को गंभीर रूप से प्रभावित करती है।

महोदय, पश्चिम बंगाल सरकार के माननीय मुख्य मंत्री के द्वारा बार-बार 'इंडो-भूटान नदी आयोग' के गठन की मांग की गई है, जिसमें राज्य का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो, ताकि उत्तर बंगाल में बार-बार आने वाली बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान किया जा सके। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने 'इंडो-भूटान नदी आयोग' की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव पास किया है, किंतु जल शक्ति मंत्रालय एवं केंद्र सरकार ने यह कहते हुए अपनी असंवेदनशीलता दिखाई कि 'इंडो-भूटान नदी आयोग' के गठन का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

महोदय, वर्तमान में भारत-भूटान के बीच संयुक्त विशेषज्ञ समूह, संयुक्त तकनीकी दल, संयुक्त विशेषज्ञ दल जैसे तंत्र कार्यरत हैं। यद्यपि ये संस्थाएं पुर्वानुमान एवं जल प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, परंतु बार-बार आने वाली बाढ़ से उत्पन्न व्यापक समस्याओं का समाधान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं एवं चिंताओं का प्रभावी प्रतिनिधित्व केवल औपचारिक 'नदी आयोग' के माध्यम से ही संभव है, जिसमें राज्य सरकार का भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना पड़ेगा।

अतः मैं केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार से आया हुआ 'Indo-Bhutan Joint River Commission' का जो प्रस्ताव है - चेयरमैन सर, चूंकि मैं उसी अलीपुरद्वार क्षेत्र से आता हूं। हम लोग 5 सितम्बर, 2025 को नहीं भूल सकते, जब वहां आई बाढ़ के कारण अलीपुरद्वार एवं जलपाईगुड़ी क्षेत्र में 40 लोगों की मृत्यु हुई। यह प्रस्ताव बहुत ही जरूरी

है। 'Indo-Bhutan Joint River Commission' जो प्रस्ताव है, वह प्रस्ताव राज्य सरकार के द्वारा आया हुआ है। इस प्रस्ताव को पारित किया जाए। हम लोगों को वहां सुरक्षित करने के लिए यह बहुत जरूरी है। किसी भी प्रकार के irrigation amendment का पैसा भी राज्य सरकार को नहीं मिलता है। राज्य सरकार की 2 लाख करोड़ रुपए की राशि को अटकाया हुआ है। इस राशि को जल्द से जल्द जारी कीजिए एवं पश्चिम बंगाल से आया हुआ जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव को पारित कीजिए तथा जो गरीब, कृषक एवं चाय बागान से आए हुए श्रमिक हैं, उनको बचाइए, धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Prakash Chik Baraik: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri Subhasish Khuntia (Odisha), Ms. Dola Sen (West Bengal), Shrimati Sagarika Ghose (West Bengal), Shri Saket Gokhale (West Bengal), Shrimati Rajathi (Tamil Nadu), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu) and Dr. John Brittas (Kerala).

Shrimati Sangeeta Yadav.

Concern over the encroachment of ponds and need for their conservation

श्रीमती संगीता यादव (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे Zero Hour में बोलने का जो अवसर दिया है, इसके मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। माननीय महोदय, आज हमारा देश हमारा देश गंभीर जल-संकट की ओर बढ़ रहा है। भू-जल स्तर लगातार गिर रहा है और अनेक क्षेत्रों में पानी की समस्या विकराल होती जा रही है। पहले हमारे गाँवों में दो या तीन, बल्कि कई छोटे-बड़े तालाब हुआ करते थे, जिनसे पेयजल, पशुपालन, खेती, मछलीपालन तथा स्थानीय रोजगार को भी सहारा मिलता था। यही तालाब वर्षा के जल को रोक कर धरती के भीतर पानी पहुंचाने के सबसे सशक्त और प्राकृतिक माध्यम थे। दुर्भाग्यवश आज अधिकांश तालाबों पर लगातार अतिक्रमण होता जा रहा है। कहीं अवैध निर्माण हो गए हैं, तो कहीं तालाबों की भूमि निजी उपयोग में ले ली गई है। स्थिति की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार द्वारा देश में 24,500 के करीब जल निकाय दर्ज किए गए हैं, जिनमें से लगभग 97 परसेंट जल निकाय ग्रामीण भारत में हैं। ये आंकड़े स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि देश के जल संरक्षण की असली रीढ़ हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के तालाब हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वही तालाब आज सबसे अधिक अतिक्रमण और उपेक्षा का शिकार बनते जा रहे हैं।

माननीय महोदय, मैं, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करती हूँ कि अभी जो 'विकसित भारत-जी राम जी' का विधेयक आया है, उसके माध्यम से हम तालाबों की पुनः खुदाई, गहरीकरण, तटबंदी और जल-ग्रहण क्षेत्र के संरक्षण के लिए विशेष अभियान चलाए। ग्राम पंचायतों और स्थानीय समुदायों को इस कार्य में सहयोगी बनाया जाए, ताकि तालाब केवल सरकारी संपत्ति न रहकर जनता की सामूहिक जिम्मेदारी बने। इससे पर्यावरण को भी संरक्षण

मिलेगा और हमारे अपने पारम्परिक जल स्रोतों को भी बचाया जा सकेगा और आगे आने वाली वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं, वे अधिक ...(*time-bell rings.*)...

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shrimati Sangeeta Yadav: Shri Narain Dass Gupta (NCT Delhi), Shrimati Rajathi (Tamil Nadu), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri A. A. Rahim (Kerala), Shri Mayankkumar Nayak (Gujarat), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Dr. Medha Vishram Kulkarni (Maharashtra), Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh), Dr. Kavita Patidar (Madhya Pradesh), Shrimati Darshana Singh (Uttar Pradesh), Shri Kanad Purkayastha (Assam), Shri Subhash Barala (Haryana), Shri Harsh Vardhan Shringla (West Bengal), Dr. Meenakshi Jain (Nominated), Shri Satnam Singh Sandhu (Nominated) and Shri Sujeet Kumar (Odisha).

Now, Question Hour. Before that, I want to say that you should follow my earlier rulings, though we are not in a position to talk about what has been discussed or debated in the other House.

REGARDING MATTER RAISED WITH RESPECT TO RULE 261

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): Here only, I want to bring to your notice -- not even to Government -- what has happened. सर, मैं आपका ध्यान 4 फरवरी, 2026 को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान दिए गए अपने भाषण पर दिलाना चाहता हूँ। मैंने अपनी तरफ से आरंभ में ही इस बात को स्पष्ट रूप से कहा था कि राष्ट्रपति का अभिभाषण राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को उठाने का एक बेहतरीन अवसर था, पर वे बातें अभिभाषण में परलक्षित नहीं होतीं। इसी भाव के साथ, मैंने सामाजिक न्याय से लेकर संसदीय तथ्यों पर अपनी बातें रखी थीं, लेकिन राज्य सभा की वेबसाइट पर अपलोड किए गए भाषण के शब्दशः पाठ की समीक्षा करने पर मैंने पाया कि मेरे भाषण का एक बड़ा हिस्सा बिना किसी उचित औचित्य के expunged कर दिया गया है या बिना किसी उचित जस्टिफिकेशन से हटाया गया है। मैंने जो समीक्षा की है, उसमें पाया है कि मेरे भाषण के अनरेकॉर्डेड पोर्शस वे हैं, जिनमें मैंने वर्तमान सरकार के कार्यकाल में संसदीय कामकाज पर तथ्यों के साथ टिप्पणियाँ की हैं और प्रधान मंत्री जी की चंद नीतियों की आलोचना की है, जो कि विपक्ष के नेता होने के कारण यह मेरा दायित्व भी है, क्योंकि मुझे लगता है कि वे नीतियाँ भारतीय जनमानस पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं।

मेरा संसदीय जीवन पांच दशक से अधिक का है। लंबे समय तक विधायक और सांसद के रूप में मैंने काम किया है और मैं हमेशा सदन की गरिमा, नियम, परंपराओं और पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य की जानकारी के साथ भाषा की मर्यादा के प्रति सजग और सचेत रहा हूँ। कहाँ किन बातों को निकाला जा सकता है, इससे मैं पूरी तरह वाकिफ हूँ और जानता हूँ।

सभापति जी, आप जानते हैं कि Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States, नियम 261 केवल विशिष्ट और सीमित परिस्थितियों में ही लागू होता है। इसीलिए मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि मेरी जो टिप्पणियाँ हटाई गई हैं, उनमें कुछ भी असंसदीय या defamatory words नहीं हैं और इसमें मैंने नियम 261 का कहीं उल्लंघन भी नहीं किया है।

MR. CHAIRMAN: I will look into it.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: One minute. Let me complete. मेरी कही गई बातें स्पष्ट रूप से चर्चा के अधीन विषय से संबंधित थीं। वे पूरी तरह से धन्यवाद प्रस्ताव के दायरे में आती थीं, इसलिए मुझे लगता है कि मेरे भाषण का इतना बड़ा हिस्सा काटना, हटाना - यह democracy के खिलाफ है और फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है। संविधान का अनुच्छेद 105(1) सांसदों को मिले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर भी चिंता प्रकट करता है, इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हटाए गए अंशों पर पुनर्विचार करते हुए उसे बहाल किया जाए।

MR. CHAIRMAN: Kharge ji, I have already told you that I will be looking into it.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : सर, आपसे मुझे न्याय नहीं मिला, तो मैं आम जनता के बीच अनरेकॉर्डेड वर्जन को साझा करने को बाध्य होऊँगा। उस वक्त मुझे आप यह नहीं कहिएगा कि आपने Rules of Procedure का उल्लंघन किया है।

MR. CHAIRMAN: No; that cannot be done. You are an elderly Member. How can you say that? Once it is expunged, it is expunged. ...*(Interruptions)*...

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: One-fourth of my speech is expunged. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Let me look into it. ...*(Interruptions)*...

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: *

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record. I am telling you...*(Interruptions)*... Now, nothing will go on record. I have already advised you. ...*(Interruptions)*...

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: *

MR. CHAIRMAN: I am looking into it. How can you say that the expunged portion may be stated outside? ...*(Interruptions)*... That is not correct. ...*(Interruptions)*...

* Not recorded.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE:*

MR. CHAIRMAN: That is not correct. I am not agreeing to your point. ...(*Interruptions*)... This is not correct. This is not democratic. You are instructing the Chair. That is not correct. ...(*Interruptions*)...

THE MINISTER OF FINANCE AND THE MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I just want to respond, through you, to the hon. Leader of the Opposition, who stood up to question your decision making. ...(*Interruptions*)... The Leader of the Opposition has stood up to question your decision making. I want to quote from the Rule 261, "Proceedings of Council - If the Chairman is of opinion that a word or words has or have been used in debate which is or are defamatory or indecent or unparliamentary or undignified..."...(*Interruptions*)... When they read the book, they should also listen. Listen to the rules I am reading now. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: It is her right to speak. I have allowed her. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I am repeating. It is Rule 261 that I am quoting. It states, "If the Chairman is of opinion that a word or words has or have been used in debate which is or are defamatory or indecent or unparliamentary or undignified, he may in his discretion, -- the Chairman -- order that such word or words be expunged from the proceedings of the Council." What the hon. Leader of the Opposition is trying to suggest here is that in his own judgment, he thinks that he has done nothing undignified, whereas you have taken a call as the Chairman, and to re-question that and to suggest that it is to protect the hon. Prime Minister, I think, is not appropriate for the position of the Leader of the Opposition. I think the respect should be given to the Chair. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Now, Question Hour. ...(*Interruptions*)... Nothing will go on record except the Question Hour. ...(*Interruptions*)... Nothing else will go on record. Please take your seats. ...(*Interruptions*)... I have given you sufficient time. You cannot question the Chair. ...(*Interruptions*)... I want to go ahead with the Question Hour.

* Not recorded.

12.00 Noon

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Implementation of Agriculture Infrastructure Fund in Punjab

* 151. DR. VIKRAMJIT SINGH SAHNEY: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

- (a) the total allocation and releases made to Punjab under the Agriculture Infrastructure Fund (AIF) since 2022;
- (b) the number and nature of projects approved in Punjab under the scheme;
- (c) whether Punjab's requirements have been assessed in view of its major contribution to the nation's food security;
- (d) the measures taken to facilitate greater access to AIF for farmer cooperatives, Farmer Producer Organisations (FPOs) and agri-entrepreneurs in Punjab; and
- (e) whether any additional or special support is proposed for Punjab under the scheme?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI SHIVRAJ SINGH CHOUHAN): (a) to (e) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Agriculture Infrastructure Fund (AIF) is a demand-driven, Central Sector scheme with uniform operational guidelines applicable across all States, including Punjab. As on 09.02.2026, ₹7425.99 Crores have been sanctioned for 32014 projects under AIF scheme to Punjab. The details of number and nature of projects Sanctioned in Punjab under AIF Scheme are at **Annexure**.

(c) Punjab's requirement under AIF on the basis of the ratio of total value of output of Agriculture and allied sector was assessed at ₹4713 Crores and later on the basis of performance raised to ₹9050 Crores.

(d) and (e) AIF scheme provides targeted facilitation to eligible beneficiaries including farmer cooperatives, Farmer Producer Organisations (FPOs), Primary



Agricultural Credit Societies (PACS) and agri-entrepreneurs through measures such as eligibility for multiple projects, interest subvention of 3 % per annum on loans up to ₹2 crores, credit guarantee coverage for eligible projects, and simplified online application processes through a single-window digital portal. Further, capacity-building programmes, awareness campaigns, and hand-holding support are undertaken by the State Nodal Department and implementing agencies to enhance participation of cooperatives and FPOs in Punjab. Allocation to Punjab stands enhanced to ₹9050 Crores on date.

Annexure

Number and nature of Projects in Punjab as on 9th February 2026

S. N.	Project Type	No. of Projects
1	Aeroponic Farming	8
2	Bio stimulant production units	7
3	Cold Stores and Cold Chain	282
4	Composite Project	15
5	Custom Hiring Centre	17,521
6	Farm/Harvest Automation	3,384
7	Hydroponic Farming	1
8	Infrastructure for smart and precision agriculture	428
9	Integrated Primary and Secondary Processing Unit	44
10	Logistics Facility	22
11	Mushroom Farming	21
12	Organic inputs production	22
13	Others	5,768
14	Packaging units	12
15	PHM Activities	417
16	PM KUSUM Component A	1
17	PM-KUSUM Com-B and Com-C	891
18	Poly House/ Greenhouse	29
19	PPP projects promoted by Central or their agencies	4
20	PPP projects promoted by State. or their agencies	1
21	Primary processing Center	2,062
22	Ripening Chambers	7



23	Silos	7
24	Sorting & Grading Unit	880
25	Supply chain infrastructure for clusters of crops	4
26	Supply chain infrastructure for export clusters of crops	1
27	Warehouse	167
28	Waxing Plants	8
	Total	32014

MR. CHAIRMAN: First supplementary, Dr. Vikramjit Singh Sahney.

डा. विक्रमजीत सिंह साहनी: सर, मैं सबसे पहले माननीय कृषि मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पंजाब के किसानों की performance देखकर Agriculture Infrastructure Fund को 4,713 करोड़ से 9,050 करोड़ कर दिया है। यह AIF किसानों को 'farmers' producer organizations को मिलता है, cooperative societies को cold-storage, harvest, automation, hydroponic farming, sorting and grading के लिए मिलता है। सर, मेरा मंत्री जी से यह प्रश्न है कि यह FPOs को मिलता है, लेकिन पंजाब में दो-तीन FPOs ही active हैं। आज के newspaper में आपने पंजाब और हरियाणा के किसानों के बारे में पढ़ा होगा कि debt burden per household is the highest in Punjab and Haryana. It is over Rs.2 lakh per household. It is one of the highest in the country. यह दो करोड़ की जो लिमिट है, इसमें न तो cold-chain लग सकता है और न ही cold stores लग सकते हैं। इसमें silos तो लग ही नहीं सकते हैं! मेरा प्रश्न है कि क्या आप इसकी लिमिट 5 करोड़ तक करने का प्रावधान कर सकते हैं?

श्री शिवराज सिंह चौहान: माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के विद्वान सदस्य, डा. विक्रमजीत सिंह साहनी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। माननीय सभापति महोदय, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता केवल सत्ता के स्वर्ण सिंहासन पर आरुढ़ होकर सत्ता-सुख भोगने के लिए राजनीति नहीं करते। हम राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, किसानों के कल्याण, दरिद्र नारायण की सेवा तथा एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण के लिए राजनीति करते हैं। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर, हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की प्रत्येक समस्या के समाधान हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, किसान अन्नदाता है, अर्थात् जीवनदाता है। और यदि वह जीवनदाता है, तो वह भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। इसलिए उसकी प्रत्येक समस्या की तरफ अगर किसी का ध्यान गया है, तो हमारी सरकार का गया है। पिछले पचास वर्षों में कभी कांग्रेस की सरकारों का नहीं गया, जबकि हमारे किसान अन्न के भंडार भरते रहे, फल

और सब्जियाँ उगाते रहे, लेकिन उनके सुरक्षित भंडारण की समुचित व्यवस्था तक पुरानी सरकारें उपलब्ध नहीं करा सकीं।

माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किसानों की इन समस्याओं को पहचाना और उनके नेतृत्व में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की आधारभूत संरचनाएं किसानों के उत्पादों को सुरक्षित रूप से संरक्षित करने के लिए बनाई जाएंगी। यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया।

माननीय सभापति महोदय, आज मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि इस योजना के अंतर्गत 44,243 Custom Hiring Centers, जिनमें पंजाब में भी बने हैं; 25,854 Primary Processing Centers, 25,565 Farm/Harvest Automation, 17,779 Warehouses, 4,261 Sorting and Grading Units, 3,549 Infrastructure for Smart and Precision Agriculture तथा 2,827 cold storages का भी निर्माण किया गया है। माननीय सभापति महोदय, इन संरचनाओं के कारण फसलों, फल और सब्जियों के नुकसान में 5 से लेकर 15 परसेंट तक की कमी आई है। अब हमारे फल सुरक्षित हैं, किसान उन्हें कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं और हमारे अनाज को भी सुरक्षित रखा जा सकता है।

महोदय, Agri-Infra Fund के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज आदि की सुविधा दी जाती है और जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे कि पंजाब में 152 FPOs हैं, जो लगातार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रयत्नरत हैं। उन्होंने केवल इतना कहा है कि यह राशि अपर्याप्त है, क्या इसको बढ़ाएंगे, पहले तो कुछ थी ही नहीं। आज इतने कोल्ड स्टोरेज से लेकर ripening chamber और अन्य अनेक संरचनाओं का बड़े पैमाने पर निर्माण हो रहा है। मैं डॉक्टर साहब से भी निवेदन करूंगा कि वे पंजाब सरकार से बात करें और अधिक से अधिक FPOs बनाने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि किसानों को और अधिक सशक्त बनाया जा सके। हालांकि वहां PACS का आंदोलन इतना मजबूत है कि हमारी सहकारी समितियाँ भी कस्टम हायरिंग सेंटर जैसे अनेक केंद्र खोलकर किसानों की सेवा कर रही हैं और FPOs को भी इन संरचनाओं के निर्माण का काम मिल रहा है, जिससे FPOs भी इन परियोजनाओं का लाभ उठा रहे हैं।

जहाँ तक राशि बढ़ाने का प्रश्न है, उचित समय आने पर इस पर विचार किया जाएगा। किंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं यह मानता हूँ कि यह राशि फिलहाल पर्याप्त है।

MR. CHAIRMAN: Second supplementary; Dr. Vikramjit Singh Sahney.

डा. विक्रमजीत सिंह साहनी : आपने स्टोरेज की बात की है कि आगे से 15-20 परसेंट बढ़ा है, लेकिन अभी भी पंजाब में पैडी, व्हीट का storage constraint है, क्योंकि NABARD कि रिपोर्ट है कि देश में डेढ़ लाख करोड़ रुपये का अनाज बर्बाद हो रहा है। पंजाब में अभी भी प्रॉब्लम है, मैं वहां परसों ही था। आप तो मेरे साथ फल के समय में भी जाते रहे। वहां रखने की जगह नहीं है, उसकी तरफ ध्यान देना होगा। एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर में आपसे प्रश्न है कि पंजाब को 2021-22 तक रूरल डेवलपमेंट फंड, मार्केट डेवलपमेंट फंड 3-3 परसेंट, करीब 6 परसेंट मिलता रहा। हम

वित्त मंत्री जी के यहां भी गए। अब यह अचानक बंद हो गया, क्योंकि आपने कहा कि सब स्टेट्स को 2 परसेंट देंगे, लेकिन पंजाब का केस अलग है, वहां हमारे 65,000 किलोमीटर के rural link हैं, 1936 मंडियां हैं तथा पंजाब 18 मिलियन पैडी और 12 मिलियन व्हीट प्रोड्यूस करता है, वहीं हमारे साथ वाला राज्य 5 मिलियन प्रोड्यूस करता है, तो सबको law of averages मत कीजिए। वह छह फुट, चार फुट और सात फुट वाला, सबको दरिया में घुसा दिया। उसमें मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। पंजाब के वित्त मंत्री जी भी आए और हम माननीय वित्त मंत्री जी के पास गए। हमने कई बार इनको फुलकारी से भी सम्मानित किया, लेकिन इनकी कुछ दया-दृष्टि नहीं हुई। आप एक सेंटर स्टेट कमेटी बना दीजिए। इसके लिए रूरल डेवलपमेंट फंड का प्रावधान कर दीजिए।...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Sahney ji, don't give lecture. Please be specific about your question.

DR. VIKRAMJIT SINGH SAHNEY: Sir, it is about rural development fund for Punjab. Thank you.

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

श्री शिवराज सिंह चौहान: सभापति महोदय, मुख्य प्रश्न से यह प्रश्न उद्धृत नहीं होता है, लेकिन मैं डा. विक्रमजीत सिंह साहनी से निवेदन करना चाहता हूं कि “हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाला” पंजाब की महान जनता को मैं प्रणाम करता हूं और यह विश्वास दिलाता हूं कि पंजाब की प्रगति और विकास में मोदी जी की सरकार कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी। आप रूरल रोड्स और ग्रामीण विकास की बात करते हैं, तो अलग से आकर आप चर्चा कीजिएगा। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी मेरे पास है। पंजाब में योजनाओं के नियम और प्रक्रियाओं के अंतर्गत जो अधिकतम सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी, केन्द्र सरकार उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पंजाब की महान जनता ने देश की रक्षा के लिए जो महान बलिदान दिए हैं और पंजाब के गुरुओं ने जो महान बलिदान दिए हैं, उनको मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और फिर यह विश्वास दिलाता हूं कि पंजाब की प्रगति और विकास में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे।

MR. CHAIRMAN: Third Supplementary, Shriman Madan Rathore.

श्री मदन राठौड़: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार किसानों को अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाने के लिए कोई कदम उठा रही है? यदि हां, तो इस बदलाव में Agriculture Infrastructure Fund, AIF कैसे मददगार है?

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

श्री शिवराज सिंह चौहान: सभापति महोदय, मोदी है, तो मुमकिन है।...(व्यवधान)... यह उन्हीं की कल्पना थी कि हमने अन्न के भंडार भरे ही हैं।...(व्यवधान)... माननीय खरगे साहब, मैं आपको

बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन इस तरह interrupt करना विपक्ष के नेता को शोभा नहीं देता है। मेरा निवेदन सुनें। ये मोदी जी हैं, जिन्होंने तय किया कि अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाएंगे। मैं बड़ी प्रसन्नता और गर्व के साथ यह बताना चाहता हूँ कि AIF के तहत पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत अन्नदाता सोलर पैनल लगाकर उससे ऊर्जा पैदा करने का भी काम कर सकता है और वैसी परियोजनाएं भी हमने स्वीकृत की हैं। अगर किसान को जरूरत है, तो वह इस योजना के अंतर्गत अपना सोलर पैनल लगा सकता है। जितनी जरूरत है, उतनी बिजली खुद ले सकता है और बिजली अगर बच जाए, तो ग्रिड में डालकर देश को भी दे सकता है और अतिरिक्त लाभ कमा सकता है। यह मोदी जी की कल्पनाशीलता है, जो अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने का काम कर रही है।

MR. CHAIRMAN: Next Supplementary, Dr. Fauzia Khan.

डा. फौजिया खान: महोदय, आदरणीय मंत्री जी से मेरी विनती है कि मेरे प्रश्न का आप संक्षिप्त में जवाब दें। सर, पंजाब में AIF वित्त पोषित परियोजनाओं के परिणामों को कौन-सी निगरानी तंत्र ट्रैक कर रहा है? महिला किसानों को मिलने वाले लाभों सहित और 2025 के आंकड़े ग्रामीण समुदाय के लिए बाज़ार पहुंच में क्या सुधार दिखाते हैं? सर, 2025-26 में AIF के तहत पंजाब के एफपीओज़ को वितरित प्याज अनुदान और ऋण गारंटी पर क्या प्रगति है और क्या लक्षित आउटरीच सीमांत किसानों के बीच कमज़ोर पहुंच को संबोधित करता है। सर, स्पेसिफिकली अगर आप उत्तर देंगे, तो आपकी कृपा होगी।

† ڈاکٹر فوزیہ خان : مہودییہ، آدرنیہ منتری جی سے میری ونٹی ہے کہ میرے سوال کا آپ سنکشیپت میں جواب دیں۔

سر، پنجاب میں AIF وٹ پوشٹ پریوجناؤں کے پرناموں کو کون سی نگرانی تنتر ٹریک کر رہا ہے؟ مہیلا کسانوں کو ملنے والے فائدوں سمیت اور 2025 کے آنکڑے گرامین سمودائے کے لیے بازار پہنچ میں کیا سدھار دکھاتے ہیں؟ سر، 2025-26 میں AIF کے تحت پنجاب کے ایف پی اوژ کو وٹرت پیاز انودان اور رن گارنٹی پر کیا پرگتی ہے اور کیا لکشت اوٹریچ سیمانت کسانوں کے بیچ کمزور پہنچ کو سمبودھت کرتا ہے۔

سر، اسپیسئی فیکلی اگر آپ جواب دینگے، تو آپکی کرپیہ ہوگی۔

श्री शिवराज सिंह चौहान: सभापति महोदय, मैं बहुत संक्षिप्त उत्तर दूंगा। पंजाब में AIF के तहत 32,014 आवेदन आए और 7,425 करोड़ 98 लाख रुपये का प्रारंभिक लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन उसके मुकाबले 11,351 करोड़ 54 लाख रुपये की परियोजनाएं AIF के तहत स्वीकृत करने का काम किया है। इससे विभिन्न संरचनाएँ बनी हैं। जहाँ तक इम्पैक्ट असेसमेंट का सवाल है, मैं पहले एआईएफ के तहत बताता हूँ कि पंजाब में बेहतर स्टोरेज दी है। इसके साथ ही प्रोसेसिंग, मशीनीकरण और सिस्टम से फिजिकल और क्वालिटी से जुड़े नुकसान में औसतन 5 से 15 परसेंट की कमी आई है। एक परियोजना से 4 से लेकर 9 लोगों तक प्रत्यक्ष रोजगार मिला है, जिससे लाखों रोजगार भी पैदा हुए हैं।

† Transliteration in Urdu script.



MR. CHAIRMAN: Fifth supplementary. Shri Rajeev Shukla.

श्री राजीव शुक्ला: सभापति जी, मुझे अपना प्रश्न पूछने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदय, मैं भी वही, संक्षिप्त आन्सर का निवेदन करूँगा।

MR. CHAIRMAN: Let your question also be brief.

SHRI RAJEEV SHUKLA: Yes, Sir. महोदय, पंजाब के किसानों की दो ही दिक्कतें हैं — मुझे ऐसा समझ में आता है। इसमें एक तो एमएसपी की समस्या है, जिसको लेकर वे मांग कर रहे हैं, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इसको कब लीगल रूप देंगे, एमएसपी की लीगल गारंटी कब देंगे? मंत्री जी इसका सीधा जवाब दें।

महोदय, मेरा जो दूसरा इम्पोर्टेंट सवाल है, वह यह है कि कोरोना के बाद लोगों की दिक्कतें बढ़ीं। कोरोना काल में लोगों ने कष्ट सहे, इस काल में लाखों खेतिहर मजदूर वहाँ से अपने-अपने प्रदेशों में चले गए थे, जिससे मजदूरी का एक बड़ा संकट पैदा हुआ, जिन्हें farm labourers कहते हैं, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं? यह एमएसपी वाला एकदम डायरेक्ट और ब्रीफ सवाल है।

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

श्री शिवराज सिंह चौहान: सभापति महोदय, मैं सदन में बताना चाहता हूँ कि जब इनकी सरकार थी, तो एमएसपी में उत्पादन की लागत में 50 परसेंट जोड़ने की स्वामीनाथन आयोग ने जो सिफारिश की थी, उस पर इन्होंने कोर्ट में एफिडेविट देते हुए इंकार कर दिया था। हमने 50 परसेंट लागत में मुनाफा जोड़कर किसानों के लिए एमएसपी घोषित करने का काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, जब इनकी सरकार थी, तो नाम मात्र की खरीदी होती थी। मैं इस संबंध में केवल एक ही उदाहरण दूँगा कि दलहन की खरीद, 10 साल में, जो यूपीए की सरकार ने की थी, वह केवल 6 लाख मीट्रिक टन थी, लेकिन मोदी जी की सरकार ने 1 करोड़, 92 लाख मीट्रिक टन की खरीदी की। महोदय, हम खरीदने में भी तीन-चार गुना ज्यादा खरीद रहे हैं, दोगुने रेट दे रहे हैं और हमसे किसान भी प्रसन्न हैं।

Progress of Aatmanirbharta Mission in pulse

*152. SHRI MITHLESH KUMAR: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

- (a) the number of pulses processing units approved up to December, 2025, under Aatmanirbharta Mission in Pulses along with the details of the units selected on priority basis in the first phase, State-wise;

Original notice of the question was received in Hindi.

- (b) the phased plan and timeline for distribution of 88 lakh free seed kits of high-yielding varieties of tur and masoor, along with the number of districts identified for this initial implementation; and
- (c) the extent of area that has, so far, been identified or mapped against the target of bringing an additional 35 lakh hectares under pulses cultivation?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI SHIVRAJ SINGH CHOUHAN): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The Union Cabinet has approved a centrally sponsored scheme namely 'Mission for Aatmanirbharta in Pulses' on 1st October, 2025 aimed at boosting domestic production and achieving self-sufficiency (Aatmanirbharta) in pulses over a six-year period, from 2025-26 to 2030-31, with a financial outlay of Rs. 11,440 Crore.

Under the Post-harvest infrastructure component of the mission, a total of 1000 processing units have been approved for the mission period. Out of the 1000 processing units, in the first phase target of 528 processing units have been allotted to States and Union Territories. State wise target of processing units is at **Annexure-I**.

(b) To increase the area and production of Pulses in the rice fallow areas and other diversifiable areas, the support is being provided through the distribution of free seed kit. Under the mission, 87.5 lakh seed kits are targeted to be distributed in 6 years as per the Annual Action Plan (AAP) submitted by States/UTs. 489 districts have been identified as focussed districts for clusters under pulses Mission. The identified districts may be modified in future based on local requirement and changing context. The list of crop-wise focussed districts in the country is at **Annexure-II**.

(c) By 2030—31, the total area under pulses cultivation is projected to expand by 35 lakh hectares, comprising 24.5 lakh hectares in traditional areas and 10.5 lakh hectares in non-traditional area under pulses. The estimated area expansion under the Mission is seen at **Annexure-III**.



Annexure-I

The State-wise target of processing units under post-harvest infrastructure component under Mission for Aatmanirbharta in Pulses in first phase is as under:

(in Numbers)

S.No	States	Processing Units (Dall Mills)
1	Andhra Pradesh	22
2	Arunachal Pradesh	10
3	Assam	25
4	Bihar	37
5	Chhattisgarh	22
6	Goa	5
7	Gujarat	28
8	Haryana	5
9	Himachal Pradesh	5
10	Jammu & Kashmir	5
11	Jharkhand	22
12	Ladakh	5
13	Karnataka	30
14	Kerala	5
15	Madhya Pradesh	55
16	Maharashtra	34
17	Manipur	5
18	Meghalaya	5
19	Mizoram	5
20	Nagaland	11
21	Odisha	16
22	Punjab	5
23	Puducherry	5
24	Rajasthan	30
25	Sikkim	5
26	Tamil Nadu	21
27	Telangana	16
28	Tripura	8



29	Uttar Pradesh	56
30	Uttarakhand	9
31	West Bengal	16
	Total	528

Annexure-II

List of crop-wise focused districts for clusters under Pulses Mission		
State	Crop	State recommended Districts
Andhra Pradesh	Tur	Anantpur, Nandyal, Palnadu, Prakasam, Sri Sathya Sai, Kurnool, YSR Kadapa, Bapatla, Chittoor, NTR
	Urad	Bapatla, Eluru, Kakinada, Krishna, Nandyal, SPSR Nellore, Srikakulam, Vizianagaram, West Godavari, YSR Kadapa, Anakapalli, Parvathipuram Manyam, Guntur
	Gram	Bapatla, Kurnool, Nandyal, Prakasam, YS.R.Kadapa, Anantapur,
	Other Pulses	Guntur, Bapatla, Srikakulam, Eluru, Vizianagaram, Krishna, NTR, Chittoor, Sri Satya Sai, Anantapur, Annamayya, ASR
Arunachal Pradesh	Tur	Lower Dibang Valley, Upper Siang
	Urad	West Siang,
	Masoor	West Siang, Kamle, Papumpare
	Other Pulses	Kra Daadi, Lepa Rada, West Kameng, Lohit, Lower Siang
Assam	Tur	Baksa, Biswanath, Sonitpur, Karbi Anglong, Kokrajhar, Nagaon, Kamrup (R), Bongaigaon, Darrang, Goalpara, Dima Hasao, Barpeta
	Urad	Dhubri, Chirang, Baksa, Darrang, Biswanath, W. Karbi Anglong, Karbi Anglong, Sonitpur, Bongaigaon, Dhemaji, Golaghat, Dima Hasao, South Salmara, Cachar, Lakhimpur, Barpeta, Majuli
	Masoor	Kamrup (R), Baksa, Darrang, Morigaon,



		Sonitpur, Dhubri, Bongaigaon, Goalpara, Lakhimpur, Nagaon, Nalbari, Kokrajhar, Karbi Anglong
	Gram	Karbi Anglong, Baksa, W. Karbi Anglong
	Other Pulses	Lakhimpur, Nalbari, Tinsukia, Darrang, Biswanath, Morigaon, Baksa, Kamrup (R), Dhubri, Karbi Anglong, Golaghat, Sonitpur, Goalpara, Bongaigaon, Nagaon, Majuli, Barpeta, Dibrugarh, Dima Hasao
Bihar	Tur	Gaya ji, Purba Champaran, Jamui, Siwan, Nawada, Aurangabad, Baxur, Gopalganj, Mujaffarpur, Saran, Banka, Munger
	Urad	Arwal, Begusarai, Bhagalpur, Darbhanga, Gaya ji, Purbi Champaran, Aurangabad, Katihar, Mujaffarpur, Jamui, Khagadiya
	Masoor	Arwal, Jehanabad, Lakhisarai, Nalanda, Pashchim Champaran, Patna, Sheohar, Aurangabad, Bhagalpur, Gaya, Jamui, Madhubani, Nawada, Sheikhpura, Purba Champaran, Sitamarhi, Arariya, Saharsa, Samastipur, Saran, Banka
	Gram	Lakhisarai, Arwal, Aurangabad, Banka, Begusarai, Katihar, Khagaria, Kishanganj, Madhepura, Vaishali, Bhojpur, Rohtas, Nalanda, Bhabhua, Munger
	Other Pulses	Jehanabad, Lakhisarai, Patna, Banka, Mujaffarpur, Nalanda, Purniya, Rohtas, Bhagalpur
Chhattisgarh	Tur	Balrampur, Koriya, Kabeerdham, Jashpur, Surguja, Surajpur, Gariyaband, Bemetara, Khairagarh, Korba, Mungeli, Manendragarh, Kanker
	Urad	Jashpur, Kondagaon, Koriya, Gariyaband, Mahasamund, Kabirhdam, Korba, Raigarh, Sarangarh, Surguja, Surajpur, Koriya, Balrampur, Narayanpur, Kanker
	Masoor	Balrampur, Bemetara, Rajnandgaon, Kabeerdham, Gariyaband, Balodabazar,

		Khairagarh, Raiqarh, Surguja, Kanker
	Gram	Bametara, Durg, Kabeerdham, Mungeli, Rajnandgaon, Balod, Khairagarh, Dhamtari, Gariyaband, Raioarh. Surguja, Balrampur, Kanker
	Other Pulses	Balodabazar, Gariyband, Dhamtari, Balod, Bemetara, Rajnandgaon, Kabirdham, Mungeli, Kanker, Raigarh, Surguja
Gujarat	Tur	Bharuch, Chota Udaipur, Narmada, Panch Mahals, Surat, Vadodara, Tapi, Dang, Valsad, Ahmadabad, Junagadh, Rajkot, Surendranagar, Jamnagar, Aravalli, Gir Somnath, Dahod, Mahisagar, Sabarkantha, Panchmahal, Surat
	Urad	Gir Somnath, Sabar Kantha, Dang, Aravalli, Mahesana, Patan, Valsad, Junagadh
	Gram	Amreli, Bhavnagar, Botad, Devbhumi Dwarka, Ahmadabad, Dohad, Mahisagar, Patan, Surendranagar, Dang, Aravalli, Morabi, Rajkot, Jamnagar, Porbandar, Junagadh, Girsomnath
	Other Pulses	Banaskantha
Haryana	Urad	Yamunanagar, Ambala
	Masoor	Yamunanagar, Karnal
	Gram	Yamunanagar, Ambala
	Other Pulses	Yamunanagar
Himachal Pradesh	Urad	Chamba
	Other Pulses	Chamba, Kinnaur
Jammu & Kashmir	Urad	Kishtwar
	Other Pulses	Srinagar
Jharkhand	Tur	Bokaro, Chatra, Deoghar, Dhanbad, Giridih, Gumla, Hazaribagh, Jamtara, Ranchi, Sahibganj, Palamu, Garhwa
	Urad	Godda, Lohardaga, Bokaro, Chatra, Deoghar, Dhanbad, Dumka, Ranchi, E.singbhum,



		W.singhbhum, Sarikela, Latehar,
	Masoor	Bokaro, Deoghar, Dumka, Garhwa, Godda, Gumla, Kodarma, Simdega, Sahibganj, Ranchi
	Gram	Saraikela-Kharsawan, Simdega, Chatra, Gumla, Latehar, Lohardaga
	Other Pulses	Ranchi, Latehar, Gumla, Khunti, Ramgarh, Deoghar, Koderma, Giridih
Ladakh	Other Pulses	Leh
Karnataka	Tur	Kalburgi,Vijayapura, Raichuru, Bidar, Yadgiri, Bagalkote,Koppal,Haveri,Belagavi,Chitradurga,Tumkur, Ballari,Vijayanagara,Chikkaballapura,Mysuru,Davanager, Kolar,Ramanagara,Bengaluru(R)&(U)Gadag,Hassan,Mandya,Chamarajanagara, Dharwad, Chikkamagaluru
	Urad	Kalburgi, Bidar, Belagavi, Dharwad, Hassan, Mysuru, Udupi, Bagalkote, Chamarajanagara, Koppal,Mandya, Gadag, Tumkur, Ballari, Haveri, Yadgiri, Uttarkannada, Vijayapura
	Gram	Dharwad, Gadag, Belagavi, Koppal, Bidar, Bagalkote,Vijayapura, Chitradurga, Raichuru, Kalburgi, Ballari, Davangere,Chikkamagaluru,Vijayanagara, Haveri, Chamarajanagara, Hassan, Mysuru, Tumkur, Yadgiri, Chikkaballapura
	Other Pulses	Belagavi, Shivamogga, Dharwad, Uttarkannada, Chikkamagaluru, Haveri, Vijayapura, Kodugu
Madhya Pradesh	Tur	Narsinghpur, Sidhi, Singroli, Raisen, Chindwada, Damoh, Betul, Panna, Jabalpur, Rewa, Chhatarpur, Umaria, Shahdol, Burhanpur, Satna, Pandhurna, Khargone, Sagar, Alirajpur, Khandwa, Dindori, Anuppur, Mandlas Jhabua, Barwani, Seoni, Katni, Hosangabad, Morena, Sehore, Dhar

	Urad	Damoh, Chhatarpur, Sagar, Tikamgarh, Panna, Shivpuri, Satna, Ashoknagar, Vidisha, Alirajpur, Niwari, Datia, Sheopur, Narsinghpur, Guna, Rewa, Jabalpur, Raisen, Sidhi, Shahdol, Mandsour, Singroli, Gwalior, Dindori, Seoni, Chindwada, Umaria, Barwani, Neemuch, Mandla, Jhabua, Anuppur, Mahuganj, Maihar, Katni, Harda, Hosangabad
	Masoor	Sagar, Vidisha, Ashoknagar, Damoh, Rajgarh, Dindori, Narsinghpur, Raisen, Shivpuri, Panna, Shajapur, Anuppur, Mandla, Guna, Seoni, Agar Malwa, Mandsour, Rewa, Chhatarpur, Satna, Sehore, Jabalpur, Neemuch, Chindwada, Singroli, Katni, Umaria, Ratlam, Ujjain, Sidhi, Maihar, Tikamgarh, Datia, Mahuganj, Betul, Dewas, Hosangabad, Bhind
	Gram	Agar Malwa, Alirajpur, Ashoknagar, Balaghat, Barwani, Bhind, Bhopal, Chhatarpur, Chhindwara, Damoh, Datia, Dewas, Dhar, Dindori, Guna, Gwalior, Harda, Hosangabad, Indore, Jabalpur, Jhabua, Katni, Khandwa, Khargone, Burhanpur, Mandla, Mandsaur, Mauganj, Morena, Murwara, Narsinghpur, Neemuch, Niwari, Pandhurna, Panna, Raisen, Rajgarh, Ratlam, Rewa, Sagar, Satna, Sehore, Seoni, Shahdol, Shajapur, Sheopur, Shivpuri, Sidhi, Singrauli, Tikamgarh, Ujjain, Umaria, Vidisha, Anuppur West Nimar
	Other Pulses	Chhatarpur, Jabalpur, Mandia, Dindori, Datia, Damoh, Panna, Seoni, Anuppur, Sagar, Chhindwara, Singroli, Umaria, Bhind, Tikamgarh, Narsinghpur, Ashoknagar, Ujjain, Shahdol, Dhar, Betul, Vidisha, Gwalior, Shivpuri, Ratlam, Sidhi, Satna, Rewa, Niwari, Balaghat, Raisen, Katni, Maihar
Maharashtra	Tur	Akola, Bid, Buldana, Chandrapur, Jalna, Nagpur, Parbhani, Wardha, Ahmadnagar, Dhule, Nashik,



		Pune, Raigarh, Ratnagiri, Sangli, Satara, Sindhudurg, Thane, Gadchiroli, Gondiya, Kolhapur, Amravati, Aurangabad, Bhandara, Hingoli, Jalgaon, Latur, Nanded, Nandurbar, Osmanabad, Palghar, Sholapur, Wasim
	Urad	Ahmadnagar, Bid, Buldana, Osmanabad, Sangli, Akola, Dhule, Hingoli, Jalgaon, Nanded, Nandurbar, Palghar, Solapur, Yavatmal
	Masoor	Akola, Amravati, Chandrapur
	Gram	Akola, Buldana, Jalgaon, Jalna, Nagpur, Wardha, Washim, Ahmadnagar, Amravati, Aurangabad, Bid, Chandrapur, Hingoli, Latur, Nanded, Osmanabad, Parbhani, Solapur, Yavatmal, Gondiya, Kolhapur, Palghar, Raigarh, Ratnagiri, Sangli, Satara, Thane, Ahmadnagar, Amravati, Akola, Buldana, Jalgaon, Gadchiroli
	Other Pulses	Jalgaon, Ahmednagar, Solapur, Satara, Sangli
Meghalaya	Masoor	West Garo Hills
	Gram	West Garo Hills
	Other Pulses	East Khasi Hills, West Khasi Hills, West Garo Hills
Nagaland	Other Pulses	Kohima, Dimapur, Mokokchung, Phek, Wokha, Zunheboto, Tuensang, Mon, Peren, Kipheri, Longleng,
Odisha	Tur	Rayagada, Kalahandi, Nuapada, Bolangir, Kandhamal, Gajapati.
	Urad	Cuttack, Gajapati, Ganjam, Jajapur, Kendrapara, Malkangiri, Nayagarh, Nuapada, Puri, Rayagada
	Masoor	Bolangir, Kalahandi, Nuapada, Bargarh, Sambalpur, Subarnapur
	Gram	Nuapada, Kalahandi, Balangir, Bargarh
	Other Pulses	Bolangir, Kalahandi, Nuapada, Bargarh
Puducherry	Urad	Yanam, Karaikal, Mahe
Rajasthan	Tur	Banswara

	Urad	Ajmer, Baran, Bhilwara, Bundi, Dungarpur, Kota, Sawai Madhopur, Tonk
	Masoor	Bhilwara, Bundi, Jhalawar, Jhunjhunun, Sikar, Pratapgarh, Deeg
	Gram	Baran, Bhilwara, Chittaurgarh, Dausa, Dungarpur, Jaipur, Jhalawar, Jhunjhunun, Kota, Pali, Pratapgarh, Sawai Madhopur, Sikar, Tonk, Udaipur, Ajmer, Bikaner, Churu, Ganganagar, Hanumangarh, Jaisalmer, Jodhpur, Banswara, Nagaur, Beawar, Phalodi, Bundi
	Other Pulses	Barmer, Tonk, Nagaur, Jaipur, Pali, Ajmer, Churu, Dausa, Balotra, Bikaner, Deedwana, Kuchaman, Ganganagar, Hanumangarh, Jaisalmer, Jalore, Jhunjhunun, Jodhpur, Sikar
Tamil Nadu	Tur	Dharmapuri, Krishnagiri, Tiruppattur, Vellore
	Urad	Kallakurichchi, Pudukkottai, Thanjavur, Tirunelveli, Tiruvannamalai, Viluppuram, Ariyalur, Cuddalore, Dindigul, Mayiladuthurai, Tenkasi, Thoothukudi, Tiruvarur, Dharmapuri, Tiruchirapalli, Salem
	Other Pulses	Theni, Salem, Krishnagiri, Dharmapuri, Dindigul, Tiruvallur
Telangana	Tur	Kumuram Bheem Asifabad, Adilabad, Jogulamba Gadwal, Mahabubnagar, Narayanpet, Ranga Reddy, Sangareddy, Siddipet, Vikarabad, Wanaparthy, Yadadri Bhuvanagiri, Kamareddy, Nirmal, Nagarkurnool
	Urad	Wanaparthy, Nagarkurnool, Sangareddy
	Gram	Adilabad, Kamareddy, Nirmal, Sangareddy, Nizambad, Jogulamba Gadwal, Vikarabad
	Other Pulses	Khammam, Vikarabad, Sangareddy
Tripura	Tur	Dhalai
	Urad	Dhalai, West Tripura, Unakoti, Gomati, North Tripura
	Other	Dhalai, West Tripura, South Tripura, Khowai,



	Pulses	Sepahijala
Punjab	Tur	Amritsar, Jalandhar, Ludhiana
	Gram	Fazilka
	Moong	Bathinda, Fazilka, Mansa, Moga
Uttar Pradesh	Tur	Banda, Prayagraj, Chitrakoot, Fatehpur, Mirzapur, Hamirpur, Sonbhadra, Jaunpur, Kaushambi, Pratapgarh, Sultanpur, Kanpur Dehat, Azamgarh, Aligarh, Balrampur, Kanpur nagar, Jalaun, Ghazipur, Raebareilly, Ballia, Bulandshahar, Amethi, Santravidasnagar, Varanasi, Gonda, Deoria, Bahraich, Chandauli, Sitapur, Gorakhpur, Hathras, Basti, Ambedkarnagar, Ayodhya, Santkabirnagar, Unnao, Auraiya, Guatambudhnagar, Mau, Etawah
	Urad	Budaun, Jalaun, Lucknow, Pratapgarh, Sambhal, Amethi, Hamirpur, Hardoi, Jhansi, Kanpur Nagar, Lalitpur, Mahoba, Raebareilly, Unnao, Agra, Banda, Sitapur, Shahjahanpur, Barabanki, Fatehpur, Kanpurdehat, Jaunpur, Moradabad, Auraiya, Lakhimpurkheri, Amroha, Ayodhya, Sonbhadra, Varanasi, Rampur
	Masoor	Bahraich, Ballia, Ghazipur, Gonda, Jalaun, Jhansi, Lalitpur, Prayagraj, Shahjahanpur, Sultanpur, Balrampur, Banda, Barabanki, Chitrakoot, Hamirpur, Kheri, Mahoba, Mahraiganj, Mirzapur, Shrawasti, Sitapur, Sonbhadra, Hardoi, Bareilly, Badaun, Kushinagar, Sidharthnagar
	Gram	Banda, Chitrakoot, Fatehpur, Hamirpur, Jalaun, Jhansi, Kanpurdehat, Kanpurnagar, Kaushambi, Mahoba, Sonbhadra, Prayagraj, Lalitpur, Mirzapur, Raebareilly, Jaunpur, Auraiya, Sulatanpur, Ghazipur, Chandauli, Azamgarh, Pratapgarh, Ballia, Unnao, Amethi
	Other Pulses	Jhansi, Jalaun, Lalitpur, Mahoba, Hamirpur, Bareilly, Azamgarh, Sultanpur, Jaunpur, Amethi, Mirzapur, Basti, Prayagraj, Ambedkarnagar, Pratapgarh, Santkabirnagar, Sonbhadra, Ghazipur,

		Banda, Gonda, Barabanki, Ballia, Siddharthnagar, Kanpurdehat, Varanasi, Ayodhya
Uttarakhand	Urad	Pauri Garhwal, Nainital, Tehri Garhwal, Uttarkashi, Almora, Pithoragarh, Udham Singh Nagar
	Masoor	Champawat, Pithoragarh, Bageshwar, Tehri Garhwal
	Other Pulses	Udham Singh Nagar, Uttarkashi
West Bengal	Urad	Malda, Murshidabad, Nadia, Purulia, North 24 Parganas
	Masoor	Malda, Bankura, Coochbehar, Hooghly, Purulia, Uttar Dinajpur, Jhargram, Paschim Medinipur, Purba Bardhaman, Purba Medinipur, Alipurduar, Birbhum, Dakshin Dinajpur, Murshidabad, Nadia
	Gram	Murshidabad, Birbhum, Purulia, Nadia

Annexure-III**Projected Area Expansion of Pulses**

(in lakh ha)

Crop	Current Area (2023-24)	Expansion in Non-Traditional Area	Expansion in Traditional Area	Target Area (2030-31)
Tur	41	2.7	6.3	50
Urad	35	0.9	2.1	38
Masoor	17	1.5	3.5	22
Moong	53	1.5	3.5	58
Other Pulses	33	1.5	3.5	38
Gram	96	2.4	5.6	104
Total Pulses	275	10.5	24.5	310



MR. CHAIRMAN: First supplementary, Shri Mithlesh Kumar.

श्री मिथलेश कुमार : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे सदन में अपना अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। महोदय, हमारे देश के प्रधान मंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और देश को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में ऐतिहासिक वृद्धि, मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के सुदृढ़ क्रियान्वयन तथा आत्मनिर्भर भारत के तहत तुअर, उड़द और मसूर के सुनिश्चित अधिप्राप्ति जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सरकार द्वारा दलहन की सौ प्रतिशत अधिप्राप्ति की गारंटी की घोषणा भी की गई है, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित हो सके, तथापि विभिन्न राज्यों में अधिप्राप्ति की वास्तविक स्थिति, एजेंसियों की भूमिका एवं जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की गति के संबंध में स्पष्टीकरण अपेक्षित है।

महोदय, क्या माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार दलहन की अधिप्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु अब तक कौन-कौन से ठोस कदम उठा रही है? क्या यह सत्य है कि सरकार तुअर, उड़द एवं मसूर के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 100 प्रतिशत अधिप्राप्ति की गारंटी दे रही है? दलहन अधिप्राप्ति के लिए किन-किन केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय एजेंसियों को नियुक्त किया गया है तथा इस संबंध में सरकार की आगे की रणनीति क्या है?

श्री शिवराज सिंह चौहान: सभापति महोदय, विकसित और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हमारी सरकार का लक्ष्य है और आत्मनिर्भरता, मतलब हर मामले में आत्मनिर्भरता, खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता। पोषण सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाना हमारा लक्ष्य है और यह प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का संकल्प भी है। महोदय, मुझे आपके माध्यम से सदन को यह बताते हुए गर्व है कि चावल के उत्पादन में भारत आज दुनिया में नंबर एक हो गया है। हमने इसके उत्पादन में चीन को पीछे छोड़ दिया है। हमने पंद्रह करोड़ टन चावल का उत्पादन किया है। हम गेहूँ, चावल में आत्मनिर्भर हैं, लेकिन अभी हमें दलहन में आयात करना पड़ता है, इसलिए प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में इस सरकार ने तय किया कि भारत को दलहन में भी आत्मनिर्भर बनाना है। दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए एक मिशन प्रारम्भ किया गया। उसी मिशन के अंतर्गत, हमारे विद्वान, कृषक, मित्र, सांसद, मिथिलेश कुमार जी ने सवाल पूछा है। अगर दलहन में देश को आत्मनिर्भर बनाना है, तो एक महत्वपूर्ण कारक यह रहता है कि उसे उत्पादन का ठीक दाम मिले, उचित दाम मिले। दलहन में उचित दाम मिले, इसके लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। माननीय सभापति महोदय, हमने तय किया है, मैं आपके माध्यम से देश के किसानों से भी यह निवेदन करना चाहता हूँ कि तुअर, मसूर और उड़द - इन तीनों दालों का किसान जितना उत्पादन करेगा और बेचना चाहेगा, उसकी सौ परसेंट खरीदी सुनिश्चित की जाएगी। किसान जितना भी बेचना चाहेगा, हम उसे पूरा का पूरा खरीदेंगे। उधर वालों ने तो दाल खरीदी ही नहीं, हम हंड्रेड परसेंट दाल खरीदने

का काम करेंगे। माननीय सभापति महोदय, इसके लिए नेफेड और एनसीसीएफ - ये हमारी दो एजेंसीज हैं, जिन्हें हमने अधिकृत करने का काम किया है। इसके अतिरिक्त, अगर राज्य शासन चाहे, तो राज्य शासन की एजेंसीज के माध्यम से भी हम इन दलहन की खरीदी का काम करेंगे। बाकी दलहन को भी पीएम-आशा के दिशानिर्देशों के अंतर्गत खरीदने का काम किया जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, हमने यह तय किया है की जो किसान तुअर, मसूर, उड़द बेचना चाहेगा, वह पहले से अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले, डिजिटल सत्यापन करवा ले। खरीद के केंद्रों की व्यवस्था राज्य सरकार की माँग के आधार पर राज्य सरकार के सहयोग से उसी राज्य में की जाती है। पारदर्शी तौल और गुणवत्ता परीक्षण की व्यवस्था भी है। माननीय सभापति महोदय, मैं किसानों से फिर कहना चाहता हूँ कि निश्चित समय सीमा पर सिंगल क्लिक के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में सीधा पैसा भेजने का प्रावधान भी इस सरकार ने किया है, ताकि किसानों को दलहन बेचने और पैसा प्राप्त करने में कोई दिक्कत न हो।

MR. CHAIRMAN: Second supplementary; Shri Mithlesh Kumar.

श्री मिथिलेश कुमार: माननीय सभापति महोदय, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) तथा अन्य कृषि सुधारात्मक योजनाओं के माध्यम से दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बीज वितरण, उन्नत तकनीक, सिंचाई सुविधाओं एवं किसानों को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप पिछले वर्षों में दलहन उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। तथापि, उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पिछले पाँच वर्षों में एक वर्ष उत्पादन में गिरावट देखी गई है, जिसके कारणों एवं उससे निपटने हेतु उठाए गए कदमों पर सदन में स्पष्ट जानकारी अपेक्षित है। क्या माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले पाँच वर्षों में दलहन उत्पादन में एक वर्ष गिरावट दर्ज की गई है, यदि हाँ, तो इसके प्रमुख कारण क्या रहे हैं? सरकार दलहन उत्पादन में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करने, किसानों को प्रोत्साहन देने तथा आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कौन-कौन से ठोस एवं दीर्घकालिक कदम उठा रही है?

श्री शिवराज सिंह चौहान: माननीय सभापति महोदय, हमारे विद्वान, कृषक, हितैषी सांसद, मिथिलेश जी इतनी गहराई में गए हैं, यह जानकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है। उन्होंने पूरा रिकॉर्ड निकाला कि इतने सालों में तो उत्पादन बढ़ा, लेकिन एक साल उत्पादन घटा है। वे किसानों की समस्याओं का बड़ा गहरा अध्ययन करते हैं। माननीय सभापति महोदय, यह बहुत अच्छा प्रश्न है। खरगे साहब तो कह रहे हैं कि आप यह बताओ कि यह गिर क्यों गया। आपको इस प्रश्न पर भी आपति है। मुझे तो आश्चर्य होता है। माननीय सभापति महोदय, दलहन में उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने जो विशेष रणनीति बनाई है, उसके कुछ कारण हैं।

माननीय सभापति महोदय, एक तो दलहन में उत्पादन की अभी एक सीमा है। हमारे आईसीएआर के वैज्ञानिक और बाकी वैज्ञानिक रिसर्च के माध्यम से ज्यादा उत्पादन देने वाली अलग-अलग किस्में तैयार करें। इस पर हम काम कर रहे हैं। दलहन में एक दिक्कत है। दलहन में एक तो अच्छे बीजों का अभाव है और दूसरा, अभी तक किसान कई बार परम्परागत बीजों का

इस्तेमाल करता है। वह घर में रखे हुए बीजों का इस्तेमाल करता है। कई बार सूखा और असमय ज्यादा बारिश के कारण फसल बहुत जल्दी खराब हो जाती है। दलहन ऐसी फसल है कि अगर ज्यादा सर्दी पड़ जाए, तो एक दिन पहले जो हरी तुअर खड़ी है, वह दूसरे दिन पूरी की पूरी सूख जाती है। कई बार मौसम के कारण, ज्यादा तापमान के कारण, कम या ज्यादा बारिश के कारण भी फसलें खराब हो जाती हैं। इसलिए उत्पादन में निश्चित तौर पर कई बार गिरावट आती है। उन्होंने जो एक साल की बात की है, तो मैं यह बताना चाहूंगा कि बीच में एक वर्ष ऐसा रहा, जिसमें यह गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि अब दलहन का उत्पादन निश्चित तौर पर बढ़ रहा है।

माननीय सभापति महोदय, 2016 तक भारत दुनिया के बाजारों से दालों का एक सबसे बड़ा इम्पोर्टर था, लेकिन अब धीरे-धीरे हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, अच्छी किस्में तैयार करके, किसानों को सुविधाएं देकर एक दलहन क्रांति को प्रारंभ किया है। उसके कारण 2021-22 के दौरान अब तक का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन देखने को मिला था, जिसमें 27.30 मिलियन टन दालें पैदा हुई थीं। केवल 2024 और 2025 के दौरान देश में दालों का प्रोडक्शन कुछ कम हुआ था। इसलिए दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए और उसे वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए दलहन मिशन बनाया गया है। इस मिशन के अंतर्गत हम कई तरह के प्रयत्न करेंगे। एक तो अच्छी किस्मों के बीजों का निर्माण करेंगे और दूसरा, बीज के रिप्लेसमेंट की दर भी बढ़ाएंगे। परम्परागत बीज की जगह गुणवत्तापूर्ण बीज का इस्तेमाल हमारे किसान करें, हम इस बात का प्रयत्न करेंगे। इसके अलावा, हम किसानों को ट्रेनिंग देने का काम करेंगे। दलहन मिशन के अंतर्गत अलग-अलग क्लस्टर चिन्हित किए जा रहे हैं। क्लस्टर अप्रोच अपनाकर एक किसान नहीं, बल्कि क्लस्टर में सामूहिक रूप से किसान दलहन की खेती करें, इस बात का हम प्रयत्न करेंगे। मिनी किट, फ्री में बीजों का वितरण किया जाएगा। हम अलग-अलग प्रदर्शन के लिए किसानों को अच्छे बीज भी प्रदान करने का काम करेंगे। उसके लिए प्रति हैक्टेयर 10,000 रुपये तक का अनुदान भी किसान को दिया जाएगा। हमने किसान के उत्पादन को खरीदने की पारदर्शी व्यवस्था करने का काम भी किया है। इसके अलावा, अगर किसान एक क्लस्टर में उत्पादन करते हैं, तो हम वहां प्रोसेसिंग की व्यवस्था करेंगे और दाल मिल या प्रोसेसिंग की यूनिट खोलने के लिए 25 लाख रुपये तक की सहायता देने का काम भी वहां किया जाएगा। हमने इस दलहन मिशन में बीज से लेकर बाजार तक किसानों को पूरी सुविधा देने का प्रबंध किया है, इंतजाम किया है और मेरा विश्वास है कि इसके कारण दालों के उत्पादन में हम तेजी से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगे।

MR. CHAIRMAN: Third supplementary, Shri Digvijaya Singh.

श्री दिग्विजय सिंह: माननीय सभापति महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी के चुनाव क्षेत्र में जो थर्ड क्रॉप मूंग है, यह फसल बड़े पैमाने पर आ रही है। उसको आपने किसी श्रेणी में नहीं रखा है। होशंगाबाद और सीहोर, जहां से आप विधायक और सांसद भी रहे हैं, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि आपने मूंग को किसी क्लस्टर में नहीं डाला?

महोदय, इस विषय से संबंधित मेरा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश राज्य में डबल इंजन, ट्रिपल इंजन शासन है। उसके अधिकारियों ने यह बयान दिया है कि कैमिकल पेस्टिसाइड अधिक उपयोग करने की वजह से मूंग को खाना अव्यावहारिक है, अनहेल्दी है। उसकी वजह से मूंग की खरीद बहुत देरी से शुरू हुई। उसके बाद जब किसान ने बेच दिया, तो उसकी खरीद शुरू की। इससे अधिकांश व्यापारियों ने लाभ उठाया।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपके चुनाव क्षेत्र के होशंगाबाद, सीहोर और हरदा में, जहां मूंग पैदा होती है, उसको क्लस्टर में क्यों नहीं डाला गया और इसी में कितनी मूंग खरीदी गई?

श्री सभापति : ऑनरेबल मिनिस्टर।

श्री शिवराज सिंह चौहान: माननीय सभापति महोदय, हमारे मित्र, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आज उनको मेरे संसदीय क्षेत्र की बड़ी चिंता हो रही है।

श्री दिग्विजय सिंह: चिंता होनी चाहिए, आखिर वे मध्य प्रदेश का हिस्सा हैं।

श्री शिवराज सिंह चौहान: मैं तो आपको धन्यवाद दे रहा हूं। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब वहां कांग्रेस की सरकार थी, तो दलहन का उत्पादन कितना होता था, वे बता दें।

माननीय सभापति महोदय, पहले वहां एक फसल होती थी और जब हमारी सरकार आई, तो तीन-तीन फसलें, जिनमें मूंग भी शामिल है, आज किसान वहां पैदा कर रहे हैं। अगर मूंग की खेती बढ़ी है, तो वे तो यह स्वीकार करेंगे कि हमारी सिंचाई की व्यवस्था के कारण बढ़ी है। मूंग ने किसान को समृद्ध बनाने का काम किया है। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि मध्य प्रदेश का किसान अपनी मेहनत और खून-पसीना लगा कर आज 20 लाख मीट्रिक टन तक मूंग का उत्पादन गर्मी में कर रहा है, समर के सीजन में कर रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे मित्र यह भी अच्छी तरह से जानते हैं कि मूंग की खरीदी की पारदर्शी व्यवस्था उन्होंने नहीं, बल्कि हमने ही बनाई थी। पता नहीं, वे कहां से यह बात ले आए - जहर और फलाना-ढिमकाना! पिछले साल भी अगर मूंग की रिकॉर्ड खरीदी किसी ने की है, तो मोदी जी के नेतृत्व में इसी एनडीए की सरकार ने मध्य प्रदेश में इसे करने का काम किया है। मध्य प्रदेश भावांतर भुगतान जैसी योजना भी लागू कर रहा है।

महोदय, जहां तक क्लस्टर का सवाल है, ...(व्यवधान)... मूंग तो वैसे ही ...(व्यवधान)... देखिए, भावांतर या भौतिक खरीद, दोनों में से एक ही तो होगी, दोनों थोड़े ही होंगी। इतना तो आप समझते ही हैं। ...(व्यवधान)...

श्री दिग्विजय सिंह: मैं तो इतना पूछ रहा हूं कि आपका चुनाव क्षेत्र कौन से क्लस्टर में है - हरदा, होशंगाबाद और सीहोर? वहां मूंग का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होता है। ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: No debate please. ...*(Interruptions)*... Please take your seat. ...*(Interruptions)*... Mr. Minister, conclude your answer. ...*(Interruptions)*...

श्री शिवराज सिंह चौहान: हमारे बड़े भाई बड़े उतावले हो रहे हैं। सच बात यह है कि सीहोर, रायसेन, नर्मदापुरम, हरदा में भरपूर मूंग हो रही है। जो दलहन नहीं होता था, हम उसको प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... माननीय सभापति महोदय, यह भरपूर पैदा हो रही है। उसके लिए अलग से क्लस्टर की जरूरत नहीं है। लेकिन मूंग की खेती के लिए अगर किसी ने प्रोत्साहित करने का काम किया है, तो हमने ही किया है। वहां मूंग पैदा भी हो रही है और निश्चित तौर पर हमारी सरकार मूंग की खरीदी करने का काम भी कर रही है। उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। माननीय सभापति महोदय, मूंग की फसल की वृद्धि के जो प्रयास किए गए थे, वे भी हमने ही किए थे और खरीदी करने का काम भी हम ही कर रहे हैं। अब उनको परेशानी क्या है, वह तो वे ही बता सकते हैं।

MR. CHAIRMAN: Fourth supplementary; Dr. M. Thambidurai.

DR. M. THAMBIDURAI: I am very happy for Chouhanji as he is a successful Agriculture Minister. He had also made Madhya Pradesh as the number one State during his term as Chief Minister. Sir, hon. Minister mentioned Krishnagiri,—my district—Dharmapuri and other districts in his reply about processing units. I would like to know what efforts the Government is making to promote production of pulses. Mr. Chairman, Sir, as you know, in younger days, we had seen how cereals and pulses were popular in my Krishnagiri district and in other places of the northern part of Tamil Nadu. Sir, nowadays, that kind of liking has gone. It is because of construction of ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please. Be specific about your question please.

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, I am coming to the point. It is because of that, we are getting pulses only from Madhya Pradesh. Madhya Pradesh had produced more during his period. And, it is because of his efforts, we, in Tamil Nadu, are getting pulses from Madhya Pradesh. I would like to know, in order to further increase the production of pulses in Tamil Nadu, what help the Central Government is giving to the State Government because the State Government failed to produce more. That is why, I am asking the hon. Minister, what incentives the Government of India is giving to the State Government to increase production of pulses in Tamil Nadu.

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.



श्री शिवराज सिंह चौहान: माननीय सभापति महोदय, मैं तमिलनाडु के मेहनती किसानों को प्रणाम करता हूँ और मैं माननीय वरिष्ठ सदस्य को यह निवेदन करना चाहता हूँ कि 'दलहन आत्मनिर्भरता मिशन' समान रूप से देश के सभी राज्यों में लागू है। अभी यह प्रारंभ हुआ है। तमिलनाडु में भी हम दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छे बीज, अलग cluster, demonstration के लिए plot और उसमें किसानों को 10,000 रुपये प्रति हेक्टर तक की सहायता देने का काम, खरीदी का काम और खरीदी के साथ-साथ processing के लिए दाल मिल के लिए भी सहायता देने का काम करेंगे। हर घटक तमिलनाडु में भी पूरी तरह से लागू होगा और मुझे विश्वास है कि हम राज्य सरकार के साथ मिलकर तमिलनाडु में भी दालों का उत्पादन बढ़ाने में सफल होंगे।

MR. CHAIRMAN: Shri Mayankkumar Nayak.

श्री मयंककुमार नायक: चेयरमैन सर, माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की आन, बान और शान, किसानों के लिए, उनकी आय दोगुनी करने के लिए माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कार्य कर रहे हैं।

इनसे मेरा एक specific सवाल है कि देश में दलहन उत्पादन की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, 'दलहन आत्मनिर्भरता मिशन' प्रारंभ करने की आवश्यकता क्यों अनुभव की गई? कृपया यह भी स्पष्ट करें कि इस मिशन के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं तथा यह मिशन पूर्ववर्ती राज्यों से किस प्रकार भिन्न है? Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

श्री शिवराज सिंह चौहान: माननीय सभापति महोदय, मैं विद्वान सदस्य आदरणीय मयंककुमार नायक जी को बताना चाहता हूँ और उनके माध्यम संपूर्ण सदन को बताना चाहता हूँ कि दलहन में हमारा कुल मिलाकर जो क्षेत्र था, वह 38 per cent था और उत्पादन केवल 28 per cent होता था। 38 per cent क्षेत्रफल और उत्पादन 28 per cent था, यानी उत्पादकता कम थी, बीजों के replacement की दर अत्यंत कम थी और मौसम की मार के कारण कई बार हमारी दलहन की फसलें खराब होती थीं। इसलिए माननीय सभापति महोदय, धीरे-धीरे कई राज्यों में किसानों ने दलहन की खेती कम करना प्रारंभ कर दी या छोड़ दी और दलहन को replace करके दूसरी फसलें आने लगीं। ऐसे में हमारे देश में दलहन की जो आवश्यकता है, उसकी जितनी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति में देश आत्मनिर्भर हो सके, इसके लिए एक मिशन की जरूरत थी और इसीलिए माननीय सभापति महोदय, यह 'दलहन आत्मनिर्भरता मिशन' प्रारंभ करने का काम प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हमने प्रारंभ किया।

हमने यह फैसला किया कि हमें कम उपज और उत्पादन का अंतर कम करना है, बीज की पुरानी किस्मों की जगह नए और ज्यादा उत्पादन देने वाले जलवायु-अनुकूल बीज लेकर आना है, मशीनीकरण से संबंधित समस्याओं का समाधान करना है, दलहन पर जो कीट-प्रकोप होता है, जिसके कारण फसलों में बहुत नुकसान होता है, उसका मुकाबला करना है, हम इस कीट-प्रकोप

को कैसे समाप्त करें, उसके प्रयत्न करने हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि दलहन हमारे देश की एक बड़ी आवश्यकता है। यहां की जो शाकाहारी पॉपुलेशन है, जो केवल शाकाहार पर विश्वास रखती है, उसके लिए प्रोटीन प्राप्ति का यह सबसे प्रमुख साधन है। इस प्रकार, दलहन हमारे देश की एक बड़ी आवश्यकता है और इसलिए 'दलहन आत्मनिर्भरता मिशन' को प्रारंभ करने के हमारे उद्देश्य हैं - नंबर एक - उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि; नंबर दो - जलवायु अनुकूल बीजों का उत्पादन; नंबर तीन - किसानों को वे उपलब्ध हो जाएं, इसका प्रयत्न करना; फिर, NAFED और NCCF के माध्यम से तुअर, मसूर और उड़द की पूरी खरीद करना; 'पीम आशा' के अंतर्गत बाकी दलहन की खरीद को भी सुनिश्चित करना; फसल आने के उपरांत उसके भंडारण और processing को बढ़ावा देना और प्रबंधन तकनीक को भी आगे बढ़ाना। इसलिए हमने 'दलहन आत्मनिर्भरता मिशन' प्रारंभ किया है और मुझे विश्वास है कि इस मिशन के कारण भारत 2030-31 तक दालों के मामले में 'आत्मनिर्भर' हो जाएगा।

MR. CHAIRMAN: Now, Question No. 153.

Availability of machinery and equipment under CRM Scheme

*153. DR. LAXMIKANT BAJPAYEE: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

- (a) to what extent the Crop Residue Management (CRM) Scheme implemented by Department of Agriculture & Farmers Welfare (DA&FW) has been successful, the details of review of this Scheme;
- (b) the details of various types of machinery and equipment and their cost, available for the management of crop residue in the country;
- (c) the details of such machinery made available / purchased by farmers, societies, centres, etc, in the last three years, State-wise; and
- (d) the percentage of crop that has been managed through such machinery in the North Indian States in the last three years?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI SHIVRAJ SINGH CHOUHAN): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) The Department of Agriculture & Farmers Welfare, (DA&FW) is implementing Crop Residue Management Scheme from 2018-19 to support efforts of the State Governments of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh & NCT



of Delhi to address air pollution caused due to paddy stubble burning and to subsidize machinery required for management of crop residue.

The scheme promotes the usage of machines such as Super Straw Management Systems, Happy Seeder, Super Seeder, Smart Seeder, Surface Seeder, Zero Till Seed cum Fertilizer Drill, Mulcher, Shrub Master/Rotary Slasher, Paddy Straw Chopper, Hydraulically Reversible Mould Board Plough, Crop Reapers and Reaper Binders for in-situ management of paddy straw and Balers & Straw Rakes etc. for ex-situ management of paddy straw. Financial assistance @ 50% of the cost of machinery is provided to the farmers for purchase of these identified machinery on individual ownership basis and financial assistance @ 80% of the project cost is provided to the Rural Entrepreneurs (Rural youth and farmer as an entrepreneur), Cooperative Societies of Farmers (Agriculture/ Horticulture/Makhana etc.), Deendayal Antyodaya Yojana - National Rural Livelihood Mission (DAY-NRLM) Cluster Level Federations (CLFs) and Self Help Groups (SHGs), Farmer Producer Organizations (FPOs) and Panchayats for establishment of Custom Hiring Centres of crop residue management machinery.

With a view to enable efficient ex-situ management of paddy straw, provisions have been made to establish techno-commercial projects for paddy straw supply chain with a flexibility in financial contribution of beneficiary/ aggregator (Farmers, Rural entrepreneurs, Cooperative Societies of farmers, Farmers Producer Organizations (FPOs) and Panchayats) and Industries utilizing the paddy straw. The Government provides financial assistance @ 65% on the capital cost of machinery costing up to Rs. 1.50 crores. The intervention aims at establishing a robust supply chain of paddy straw for various end user industries in biomass power generation and biofuel sectors.

Under the scheme, the funds are also provided to the State Governments and Krishi Vigyan Kendras (KVKs) of Indian Council of Agricultural Research (ICAR) for undertaking Information, Education and Communication (IEC) activities on a massive scale for creating awareness among farmers.

During the period from 2018- 19 to 2025-26 (as on 10.02.2026), Rs. 4173.84 crores have been released under the scheme (Punjab - Rs. 2026.45 crores, Haryana - Rs. 1156.71 crores, Uttar Pradesh - Rs. 838.67 crores, Madhya Pradesh - Rs. 45.00 crores, NCT of Delhi - Rs. 6.05 Crores, ICAR- Rs. 93.235 crores & others Rs. 7.7205 Crores).

The cost of crop residue management machinery vary significantly based on type, size, brand, and regional factors. The rates of maximum financial assistance on these machines is fixed and periodically revised based on their average market prices. The list of machines and equipments promoted under the scheme and the maximum financial assistance provided for purchase of these machines on individual ownership basis by the farmers @ 50% of their cost and for establishment of CHCs @ 80% of the machine cost is enclosed as **Annexure**.

During the period from 2018-19 to 2025-26 (as on 10.02.2026), the states have distributed more than 3.50 lakh machines to the individual farmers and to the CHCs established in these States.

The State-wise details are as under:

State/ Agency	Total number of machines distributed to individual farmers & CHCs
Punjab	160296
Haryana	110767
Uttar Pradesh	76135
NCT of Delhi	247
Madhya Pradesh	3205
Total	350650

As per the information provided by the State Governments, around 19 million tons of paddy straw has been managed in the year 2025 by the machines provided under the scheme in the State of Punjab. In the State of Haryana, out of the total registered paddy area of 15.91 lakh hectares, about 13.90 lakh hectares has been managed using machines provided under the scheme. In the State of Uttar Pradesh, approximately 27.75% of the paddy straw is being managed through ex-situ management machinery and 24.21% of the paddy straw is being managed through utilization of in-situ crop residue management machines.

The active fire events due to paddy residue burning was monitored using satellite remote sensing, following the "Standard Protocol for Estimation of Crop Residue Burning Fire Events using Satellite Data" by Consortium for Research on Agroecosystem Monitoring and Modeling from Space (CREAMS) Laboratory, Division of Agricultural Physics, ICAR — Indian Agricultural Research Institute, New Delhi.

The State-wise and year-wise incidents of paddy stubble burning are given as under:

State	Incidences of Paddy Stubble Burning in the States (Numbers)								
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Punjab	67079	59664	50735	83002	71304	49922	36650	10909	5114
Haryana	13085	9227	6364	4202	6987	3661	2296	1406	662
UP whole (UP NCR)	8784 (492)	6623 (208)	4230 (204)	4631 (407)	4242 (252)	3017 (198)	3985 (212)	6142 (414)	7290 (281)
Total	88948	75514	61329	91835	82533	56600	42931	18457	13066

There is a visible reduction in the paddy residue burning events and the same have reduced by 92.4% in Punjab, 94.9% in Haryana & 17.0% in Uttar Pradesh in year 2025 when compared with the year 2017.

Annexure

Pattern of Assistance and Maximum Permissible Subsidy on crop residue management machines

S. No.	Name of the machine/ equipment	Purchase of machines by the farmers on individual ownership basis		Purchase of machines for establishing CHCs	
		Pattern of Assistance	Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment per beneficiary inclusive of GST, (Rs.)	Pattern of Assistance	Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment inclusive of GST, (Rs.)
1	Tractor 60 HP and above	--	--	80%	9,60,000
2	Super Straw Management System (Super SMS) to be attached with Combine Harvester	50%	59,700	80%	95,520
3	Happy Seeder				
	a) 09 tine	50%	81,400	80%	1,30,240
	b) 10 tine	50%	84,150	80%	1,34,640
	c) 11 tine	50%	86,350	80%	1,38,160
	d) 12 tine	50%	90,200	80%	1,44,320



4	Smart Seeder	50%	1,10,000	80%	1,76,000
5	Paddy Straw Chopper/ Shredder/Mulcher				
	a) Mounted type (Straw Chopper & Mulcher)				
	i) 5 ft	50%	72,500	80%	1,16,000
	ii) 6 ft	50%	85,800	80%	1,37,280
	iii) 7 ft	50%	90,200	80%	1,44,320
	iv) 8 ft	50%	95,700	80%	1,53,120
	b) Trailed type	50%	1,47,100	80%	2,35,360
6	Shrub Master/Rotary Slasher	50%	27,500	80%	44,000
7	Hydraulic Reversible M.B. Plough				
	a) Two bottom	50%	70,500	80%	1,12,800
	b) Three bottom	50%	91,500	80%	1,46,400
	c) Four bottom	50%	1,25,400	80%	2,00,640
8	(a) Zero Till Seed cum Fertilizer Drill				
	(b) Spatial Zero Till Drill				



	9 tine	50%	24,800	80%	39,680
	11 tine	50%	28,200	80%	45,120
	13 tine	50%	30,800	80%	49,280
	15 tine	50%	33,000	80%	52,800
9	Super Seeder	50%	1,20,000	80%	1,92,000
10	Surface Seeder	50%	44,000	80%	70,400
11	Baling Machines				
	Balers (Round — Mini — upto 16 kg per bale)	50%	2,20,000	80%	3,52,000
	Balers (Round — Medium —above 16-25 kg per bale)	50%	2,39,500	80%	3,83,200
	Balers (Round — big-180-200 kg per bale)	50%	9,90,000	80%	15,84,000
	Baler (Rectangular 18-20 kg per bale)	50%	6,60,000	80%	10,56,000
	Straw Rake	50%	1,65,000	80%	2,64,000
12	Crop Reaper				
	(a) Tractor mounted	50%	82,500	80%	1,32,000
	(b) Self-Propelled	50%	90,000	80%	1,44,000
	Self-Propelled reaper cum	50%	1,92,500	80%	3,08,000

	Binder (3 wheel)				
	Self-Propelled reaper cum Binder (4 wheel)	50%	2,60,000	80%	4,16,000
13	Tractor Mounted Loader (Without Tractor)	50%	3,05,000	80%	4,88,000
14	Tractor Drawn Tedder Machine	50%	2,62,000	80%	4,20,000

MR. CHAIRMAN: First supplementary, Dr. Laxmikant Bajpayee.

डा. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी: माननीय सभापति जी, आपका आभार। सरकार ने पराली जलाने की समस्या के कारण होने वाले प्रदूषणों को रोकने की दृष्टि से जो CRM योजना लागू की थी, उस संबंध में मुझे माननीय मंत्री जी से यह जानना है कि सीआरएम योजना के अंतर्गत आवश्यक उपकरण महँगे हैं और उनका संचालन व्यय भी बहुत अधिक है और उसके कारण किसानों के लिए व्यय साध्य नहीं है, वैसे सरकार ने इसमें सब्सिडी की व्यवस्था तो की है, लेकिन क्या सरकार किसी अन्य उपाय पर भी विचार करेगी, ताकि इन उपकरणों का या सरकार की सीआरएम योजना का लाभ उठा कर किसान प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य में भी सहयोग कर सके?

श्री सभापति: ऑनरेबल मिनिस्टर।

श्री शिवराज सिंह चौहान: माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य, सम्माननीय लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी को धन्यवाद देता हूँ और यह निवेदन करना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, आज मैं एक तो यह कहना चाहता हूँ कि प्रदूषण का कारण केवल पराली नहीं है, केवल किसान नहीं है। जब भी दिल्ली में धुआँ बढ़ता है, तो किसानों को दोषी ठहरा दिया जाता है, लेकिन अब यह साइंटिफिक तरीके से भी सिद्ध हो चुका है कि जब शीत काल में भी दिल्ली-एनसीआर में और उसके आस-पास प्रदूषण होता है, उसमें पराली का योगदान पांच परसेंट से कभी ज्यादा नहीं रहा, बाकी जो प्रदूषण होता है, वह औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से, वाहनों से निकलने वाले धुआँ के माध्यम से होता है, लेकिन कई बार केवल किसानों को बदनाम किया जाता है, लेकिन किसान एकमात्र कारण नहीं है।

बाजपेयी जी ने जो सवाल पूछा है, उसके संबंध में मैं बताना चाहता हूँ कि हमने पराली न जले, क्योंकि इससे एक तो प्रदूषण होता है, लेकिन प्रदूषण के अलावा दूसरी दिक्कतें भी पराली जलाने से पैदा होती हैं। किसान पराली इसलिए जलाता है क्योंकि combined harvester से



हार्वेस्ट करने के बाद उसके डंठल रह जाते हैं, तो उसका प्रबंधन उसके लिए काफी कठिन है, इसलिए उसको आसान लगता है कि उसमें आग लगाओ और बाद में अपनी बुआई कर लो, लेकिन आग लगाने के कारण मित्र कीट मारे जाते हैं, जो nutrients हैं, वे लगभग समाप्त हो जाते हैं, ऑर्गनिक कार्बन समाप्त होता है, मिट्टी की उर्वरकता कम होती चली जाती है और उसके कारण प्रदूषण भी फैलता है। इसलिए यह सीआरएम योजना, जिसका सम्माननीय बाजपेयी जी ने जिक्र किया, सरकार ने बनाई और मुझे यह बताते हुए खुशी है कि सीआरएम योजना के अंतर्गत हम किसानों को भी, जो मशीनें अलग-अलग आती हैं, उन मशीनों पर 50 परसेंट सब्सिडी देने का काम करते हैं। अगर FPO या वैसी संस्थाएँ Custom Hiring Centre खोलना चाहे, तो उसके लिए 80 परसेंट सब्सिडी है। मैं माननीय विद्वान सदस्य के प्रश्न के उत्तर में कहना चाहता हूँ कि किसान भी इन मशीनों को खरीद कर पराली का प्रबंधन कर सकते हैं और किसान न खरीदना चाहे, अगर उसको महँगी लगे, तो Custom Hiring Centre से वह किराए पर भी इन मशीनों को लेकर पराली प्रबंधन का काम कर सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह जरूर बताना चाहता हूँ कि अब तक जो पराली प्रबंधन के लिए हमने मशीनें बाँटी हैं, वे किसानों को पर्याप्त मात्रा में मिल रही हैं। इन चारों राज्यों, विशेषकर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अब मध्य प्रदेश भी उसमें जुड़ा है, पंजाब में लगभग 1,60,296 मशीनें दी गई हैं, हरियाणा में 1,10,550 मशीनें वितरित की गई हैं, उत्तर प्रदेश में 76,135 मशीनें वितरित की गई हैं। हमने साढ़े तीन लाख से ज्यादा किसानों को ये मशीनें वितरित करने का काम किया है।

मुझे यह बताते हुए भी प्रसन्नता है कि पराली जलाने की घटनाएँ अब निरंतर कम होती चली जा रही हैं। पंजाब में उल्लेखनीय कमी आई है, वहाँ पिछली बार लगभग 5,000 घटनाएँ हुई हैं। हरियाणा सरकार के अपने अलग प्रयास हैं, वहाँ भी घटनाओं में कमी आई है। इस तरह से घटनाओं में लगातार कमी आ रही है। आगे भी हम प्रयत्न करेंगे कि किसान और किसानों के समूह Custom Hiring Centre इत्यादि से इन मशीनों के माध्यम से पराली का ठीक प्रबंधन करने में सफल हों और पराली न जले, ताकि धरती भी बचे और प्रदूषण भी खत्म हो।

MR. CHAIRMAN: Second supplementary; Dr. Laxmikant Bajpayee.

डा. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी: माननीय सभापति जी, मंत्री जी ने अभी पंजाब में पराली जलाने का प्रतिशत कम होना बताया है और उत्तर प्रदेश में यह केवल 17 प्रतिशत कम हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि क्या आप उसके लिए कोई विशेष प्रबंध करेंगे? नंबर एक। नंबर दो - इन मशीनों के अलावा फसल अवशेषों का जैव ऊर्जा संयंत्रों तक परिवहन और बुनियादी ढांचा न होने के कारण भी किसान के लिए वह साध्य नहीं है, सब्सिडी में भी देरी होती है, इसलिए किसान इसको जलाने का विकल्प चुन लेता है। क्या सरकार इस संबंध में भी कोई विचार करेगी? मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 17 प्रतिशत की कुल कमी क्यों आई है, इस संबंध में भी अगर सरकार अवगत कराएगी, तो अच्छा होगा।

सर, मैं एक अतिरिक्त विषय मेरठ से संबंधित कहना चाहता हूँ। मैंने मेरठ के लिए अतिरिक्त ड्रॉन्स की मांग की थी, ताकि ड्रॉन्स के माध्यम से ड्रॉन दीदी अधिक बनें। मैं माननीय मंत्री से यह भी जानना चाहूंगा कि मेरठ के लिए हमने जो 35 ड्रॉन्स की मांग की थी, क्या उनके उपलब्ध होने की स्थिति बन सकेगी?

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

श्री शिवराज सिंह चौहान: माननीय सभापति महोदय, अपने क्षेत्र की चिंता के बारे में बाजपेयी जी ने मेरा ध्यान दिलाया है और मैं मानता हूँ कि यह उनकी जागरूकता का प्रमाण है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, तो यह बात सच है कि पराली जलाने की घटनाओं में अभी 17 प्रतिशत की कमी आई है। माननीय सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस साल बताया कि धान की पराली जलाने की अधिकता का कारण अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में जो भारी बारिश हुई थी, उसके चलते मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान की कटाई एक साथ कर ली गई थी और धान की पराली में अधिक नमी के कारण किसानों ने अगली फसल की बुआई के लिए खेतों में पराली को जलाने का प्रयत्न किया, ताकि वे अगली फसल ढंग से पैदा कर सकें। माननीय सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में भी 76,135 व्यक्तिगत किसानों और कस्टम हायरिंग सेंटर्स को ये मशीनें वितरित की गई हैं। मैं फिर यह दोहराना चाहूंगा कि अगर किसान हमसे न खरीद सके, तो उत्तर प्रदेश में जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं, उनके माध्यम से भी वह किराए पर मशीनें लेकर अपने खेत में पराली का प्रबंधन कर सकता है।

माननीय सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में मेरठ, शामली, हापुड़, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, बागपत, गौतम बुद्ध नगर जैसे अलग-अलग शहरों में पराली के प्रबंधन के लिए व्यवस्था की गई है, जहाँ पेलेटिंग विनिर्माण संयंत्र 11 और धान के भूसे के भंडारण की सुविधाएं उपलब्ध हैं। एनसीआर जिलों में जो क्षमता पैदा हुई है, वह 32.63 हजार टन की है। माननीय सभापति महोदय, यह प्रयत्न लगातार जारी है। किसान खुद न खरीदे, वह किराए पर लेकर प्रबंधन करे। अगर उनके और उपयोगी सुझाव मिलते हैं, तो हम उन सुझावों पर भी विचार करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक ड्रॉन का सवाल है, तो माननीय सदस्य ने जनता के कल्याण को ध्यान में रखते हुए बड़ी चतुराई से यह सवाल पूछ लिया। मैं इस पर इतना ही कहना चाहता हूँ कि उनके प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

MR. CHAIRMAN: Third supplementary — Shriman Amar Pal Maurya.

श्री अमर पाल मौर्य: माननीय सभापति महोदय, कृषि में जल का अधिक उपयोग करने वाली चावल और गन्ना जैसी कई फसलें हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि किसान खेती में विविधता कैसे लाए, जिससे भूजल में गिरावट, मिट्टी का क्षरण और प्रदूषण का निराकरण हो सके, इस संदर्भ में अगर सरकार ने कोई ठोस नीति बनाई है, तो माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें।

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

श्री शिवराज सिंह चौहान: माननीय सभापति महोदय, सरकार का पहले यह प्रयत्न था कि गेहूँ और चावल के उत्पादन में हम आत्मनिर्भर हो जाएँ। अब यह गर्व का विषय है और आनन्द का विषय है कि भारत अब चावल का भी एक्सपोर्ट कर रहा है, गेहूँ का भी एक्सपोर्ट कर रहा है। हम जानते हैं कि चावल के उत्पादन में पानी बहुत लगता है और इसलिए हम दोनों-तीनों तरह के प्रयत्न कर रहे हैं। नंबर एक- हम चावल की ऐसी किस्में भी तैयार कर रहे हैं, जिनमें पानी कम लगे और जो कम समय में आ जाएँ। चावल की सीधी बुआई, यानी डायरेक्ट सीडिंग भी एक अलग पद्धति है, जिसके माध्यम से उनको खेत में पानी भरने की जरूरत ही नहीं है, वे चावल की बुआई सीधे ट्रैक्टर और मशीन के माध्यम से कर सकते हैं। उसको भी प्रोत्साहित करने का प्रयत्न किया जा रहा है, लेकिन चावल पर्याप्त है। कृषि का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है, इसलिए दलहन मिशन, तिलहन मिशन के अंतर्गत हम यह कोशिश करते हैं कि धान के अलावा कम पानी में पैदा होने वाली फसलों को भी किसान उत्पादित कर सके। दलहन मिशन के बारे में अभी विस्तार से चर्चा हुई है। तिलहन मिशन के अंतर्गत inter-cropping के माध्यम से दूसरी फसलों को प्रोत्साहित करने का काम लगातार किया जा रहा है तथा मक्का और दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए हम लोगों ने विशेष प्रयास किए हैं। सभापति महोदय, हमने फसल विविधीकरण का जो कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जिसको पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित किया जा रहा है, इसका मूल उद्देश्य यही है कि जल का अधिक उपयोग करने वाली धान की खेती के स्थान पर दलहन, तिलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज, मक्का, जौ, कपास और कृषि वानिकी जैसी वैकल्पिक फसलों को हम बढ़ावा दें। इसके अंतर्गत राज्य सरकार के माध्यम से हम किसानों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करते हैं - दलहन के लिए 9,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, मक्का और जौ के लिए 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर, हाइब्रिड मक्का के लिए 11,500 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा पोषक अनाज के लिए 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से। यह भी हम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, अब इन फसलों का उत्पादन भी बढ़ रहा है। और जैसे मैंने बताया कि दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए दलहन की सुनिश्चित खरीद और बाहर से दलहन सस्ता न आ जाए, इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी के माध्यम से किसान को ठीक दाम मिले, उसके प्रयत्न भी लगातार किए जा रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Shriman Subhash Barala.

श्री सुभाष बराला: माननीय सभापति महोदय, दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री जो हरियाणा के ऊपर पर्यावरण प्रदूषण का कलंक लगाते थे, वह माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं माननीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में साफ हुआ है, क्योंकि आपने इतने उपकरण हम लोगों को दिए, जिसके कारण पराली के निपटान में हम सब किसानों ने सरकार के साथ कदमताल मिलाकर बहुत अच्छा काम किया है।

मेरा प्रश्न यह है कि हरियाणा प्रदेश के किसान आपके प्रयासों से जो हमें औज़ार मिले हैं, उनसे हम गांठें तो बना लेते हैं, bales तो खूब बनती हैं, लेकिन उसके आगे उपयोग के लिए कुछ

और संयंत्र चाहिए, जिनकी कमी है। क्या भविष्य में केंद्र सरकार के पास इस प्रकार की कोई योजना है, जिसके माध्यम से जो पराली की गांठें बनती हैं, उनका आगे जाकर उचित समाधान हो सके और समयबद्ध तरीके से हो सके?

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

शिवराज सिंह चौहान: माननीय सभापति महोदय, आज मैं इस सदन के माध्यम से हरियाणा सरकार को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। पराली के प्रबंधन के लिए हरियाणा ने अपने संसाधनों का उपयोग करते हुए अनेक प्रयत्न किए हैं तथा सराहनीय पहल की है। यह बात देश के सामने आनी चाहिए। हरियाणा में धान के अवशेषों के in situ और ex-situ प्रबंधन के लिए प्रति एकड़ 1,000 रुपये प्रदान करने का फैसला किया गया है। यह हरियाणा की सरकार है, जिसको मैं धन्यवाद देता हूँ। 'मेरा पानी – मेरी विरासत योजना' के तहत धान के अलावा अन्य फसलों के विविधीकरण के लिए प्रति एकड़ 7,000 रुपये तथा direct seeded rice को अपनाने के लिए प्रति एकड़ 4,000 रुपये देने का काम किया जा रहा है। पराली न जलाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायतों को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। रेड जोन पंचायतों को 1 लाख रुपये तथा yellow zone पंचायतों को 50,000 रुपये दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त गौशालाओं तक पराली की गांठों के परिवहन के लिए भी 500 रुपये की राशि, अधिकतम 15,000 रुपये तक देने के लिए राज्य सरकार ने मानक दरें अधिसूचित की हैं। इसलिए महोदय, मैं उस सरकार को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ।

जहाँ तक पराली की गांठें बनाने एवं उन्हें दूर ले जाने में अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता का प्रश्न है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि महोदय, धान की पराली सच में एक कीमती चीज़ है, जिसका उपयोग कई तरीकों से किया जा सकता है - pelleting के लिए, thermal power plants के लिए, bio-mass industry के लिए और CNG plant जैसी अलग-अलग इंडस्ट्री में। धान की पराली के ex-situ management पर हम जोर दे रहे हैं। इसके कारण इसका पौर प्रबंधन बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। Ex-situ फसल अवशेष management, cluster-based तरीके से सप्लाई चैन बनाने, खेत से पराली इकट्ठा करने, बंडल बनाने और transport करने पर फोकस करती है, ताकि bio-energy thermal power plant, bio-CNG and fuel जैसी इंडस्ट्री में इसका उपयोग हो सके। धान की पराली की सप्लाई चैन...

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over. Hon. Members, there are 27 permitted Special Mentions for today. Special Mentions of those hon. Members who are present in the House now shall be deemed to be laid on the Table of the House.

[Answers to Starred and Un-starred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part — I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link <https://sansad.in/rs/debates/officials>]

1.00 P.M.

€SPECIAL MENTIONS**Concern over the services of Delhi Metro Rail Corporation (DMRC)**

डा .संदीप कुमार पाठक (पंजाब) : महोदय, मैं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता में हाल के समय में आई गिरावट, विशेष रूप से येलो लाइन और ब्लू लाइन पर, की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। दिल्ली मेट्रो को देश की सबसे विश्वसनीय शहरी परिवहन प्रणाली माना जाता रहा है, किंतु वर्तमान परिस्थितियाँ इसके विपरीत स्थिति दर्शा रही हैं। हाल ही में मेट्रो किराए में वृद्धि किए जाने के बावजूद, पीक आवर्स - विशेषकर कार्यालय समय में ट्रेनों की आवृत्ति कम हो गई है। इसके परिणामस्वरूप डिब्बों में अत्यधिक भीड़, प्लेटफॉर्म पर लम्बा इंतजार और यात्रियों, विशेषकर कामकाजी लोगों एवं छात्रों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। कई स्टेशनों पर टिकट पंचिंग तथा एंट्री-एग्जिट गेट मशीनों का बार-बार खराब रहना, पीक आवर्स में लम्बी कतारों का कारण बन रहा है। साथ ही, ब्लू लाइन पर पिछले दो महीनों से सेवाओं के मार्ग में किए गए परिवर्तन - ब्रिगेडियर होशियार सिंह से कीर्ति नगर तथा मुंडका से इंद्रलोक के कारण असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

अतः मैं सरकार से पीक आवर्स में ट्रेन आवृत्ति बढ़ाने, तकनीकी अवसंरचना सुधारने, सुरक्षा स्टाफ की संख्या बढ़ाने और ब्लू लाइन पर हालिया मार्ग परिवर्तनों की समीक्षा कर पूर्व व्यवस्था बहाल करने हेतु ठोस कार्ययोजना बनाने की माँग करता हूँ।

Demand for opening a CGHS Wellness Centre at Puri in Odisha

SHRI SUBHASISH KHUNTIA (Odisha): Sir, I draw the attention of the Government to the long-standing demand for the establishment of a Central Government Health Scheme (CGHS) Wellness Centre in Puri, Odisha. Puri is not only a major pilgrimage and tourist destination, attracting lakhs of visitors annually due to the presence of the revered Jagannath Temple, but it is also home to a significant population of Central Government employees, pensioners, ex-servicemen and their families who are currently deprived of CGHS healthcare facilities. At present, CGHS facilities in Odisha are limited to Bhubaneswar, causing immense inconvenience to beneficiaries in Puri and surrounding districts who have to travel long distances for medical consultation, medicine collection and wellness services. Puri frequently hosts large numbers of central security personnel, postal employees, DAG Office, Geological survey of India, Income tax, All India Radio, ASI, Central Homeopathic Research Institute and paramilitary forces, especially during major events such as Rath Yatra, who would greatly benefit from a CGHS Wellness Centre locally. I urge the Government to kindly

€ Laid on the Table.

consider this genuine and growing demand and take steps to establish a CGHS Wellness Centre in Puri for the benefit of thousands of Central Government beneficiaries and to support healthcare infrastructure in this important city.

**Demand for construction of elevated road to decongest connectivity from
Akshardham to Noida and Greater Noida up to Pari Chowk,
Greater Noida, UP**

SHRI BRIJ LAL (Uttar Pradesh): Sir, Noida and Greater Noida were developed as a part of NCR (National Capital Region) to decongest Delhi, and New Okhla Industrial Development Authority was established to develop Noida and GNIDA for development of Greater Noida. The area has successfully developed as an industrial and residential hub and is pride of Uttar Pradesh. Gautam Buddha Nagar District, which includes Noida and Greater Noida is the leading export hub in Uttar Pradesh which accounts for approximately 50 per cent of the State's total exports in 2025 having a total export value of approximately 12 billion+ US dollars, including India's mobile component and apparel among other things. Road connectivity from Delhi *via* DND (Delhi Noida Delhi expressway) was envisaged 25 years back with 6-lane road, which used to be sufficient till three years back, has now compressed to 10-lane due to heavy commercial traffic. This road is also the fastest connectivity to Mathura and Agra for foreign tourists. With the upcoming Jewar Airport, the present traffic, which is presently unmanageable most of time due to increase in volume of commercial and private vehicles, is going to Seeflood of vehicles after Jewar Airport inauguration this month.

I would humbly urge that the Government should immediately construct elevated road from DND to Pari Chowk in view of the flow of additional traffic due to Jewar Airport. This will help in export, tourism and fast movement of goods.

Demand for establishment of *Kisan Mandis* along the National Expressway

श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा (उत्तर प्रदेश) : महोदय, सरकार आज देश में सड़कों के निर्माण की दिशा में अद्वितीय कार्य कर रही है। आज देश में सड़क मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना आसान हो गया है। सरकार द्वारा नेशनल हाईवे, नेशनल एक्सप्रेस-वे एवं अन्य महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है। देश के विभिन्न शहरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए नेशनल एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जा रहा है। आज देश के नागरिक तथा व्यापारी अपनी यात्रा एवं माल ढुलाई के लिए सड़क मार्ग को प्राथमिकता दे रहे हैं। भारत एक कृषि



आधारित देश है। देश की एक बड़ी आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। वर्तमान में देश में बनाए जा रहे अधिकांश नेशनल एक्सप्रेस-वे कृषि बाहुल्य क्षेत्र से होकर गुजरते हैं।

मेरा सरकार से निवेदन है कि इन एक्सप्रेस-वे के किनारे किसान मंडियों का निर्माण किया जाए, जिससे एक्सप्रेस-वे के किनारे रहने वाले किसान विकास की इन परियोजनाओं में अपने कृषि उत्पादों के साथ भागीदार बन सकें। किसान मंडियों के निर्माण से किसानों को अपनी फसलों को बेचने हेतु एक व्यवस्थित स्थान प्राप्त होने के साथ ही व्यापारियों को एक्सप्रेस-वे के माध्यम से इन फसलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में मदद मिलेगी। किसान मंडियों के विकास से निश्चित रूप से एक्सप्रेस-वे के किनारे रहने वाले किसानों की आय में वृद्धि होगी तथा वह 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में भागीदार बन सकेंगे।

Demand for a new Intercity Express train between Pratapgarh and Agra

श्री अमर पाल मौर्य (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं सरकार का ध्यान प्रतापगढ़ की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लंबित मांग की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। प्रतापगढ़ 'एक जनपद एक उत्पाद' (ODOP) के तहत आंवला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, वहीं आगरा अपने पेठा उद्योग और पर्यटन के लिए जाना जाता है। वर्तमान में प्रतापगढ़ से आगरा जाने के लिए सीधी ट्रेन कनेक्टिविटी की भारी कमी है। वर्तमान में केवल दो साप्ताहिक ट्रेनें हैं - 13168, आगरा-कोलकाता एक्सप्रेस, शनिवार को और 14866, मरुधर एक्सप्रेस, बुधवार को। यानी सप्ताह के 5 दिन प्रतापगढ़ से आगरा के लिए कोई सीधी ट्रेन उपलब्ध नहीं है।

एक अनुमान के मुताबिक, प्रतापगढ़ और आसपास के जिलों, जैसे अमेठी, सुल्तानपुर से प्रतिदिन 1,500 से 2,000 यात्री आगरा, मथुरा और राजस्थान की ओर रुख करते हैं, जिन्हें मजबूरी में लखनऊ या इलाहाबाद जाकर ट्रेन बदलनी पड़ती है या निजी बसों का सहारा लेना पड़ता है। नई इंटरसिटी एक्सप्रेस से प्रतापगढ़ के व्यापारियों को आगरा के पेठा, चमड़ा और पर्यटन उद्योग से सीधा व्यापारिक लाभ मिलेगा। साथ ही, आगरा तक सीधी ट्रेन से मथुरा-वृंदावन जाने वाले श्रद्धालुओं को बांके बिहारी के दर्शन के लिए आसान और सुलभ यात्रा सुविधा मिलेगी।

मेरा सरकार से आग्रह है कि जनहित और व्यापारिक हितों को देखते हुए प्रतापगढ़ से आगरा वाया लखनऊ-कानपुर के बीच एक दैनिक 'आंवला-पेठा इंटरसिटी एक्सप्रेस' शुरू की जाए। इससे न केवल रेलवे के राजस्व में वृद्धि होगी, बल्कि आत्मनिर्भर भारत और ODOP मिशन को भी नई मजबूती मिलेगी। धन्यवाद।

Need to recognize Neurofibromatosis Type 1(NF1) under the National Policy for Rare Diseases

DR. ANIL SUKHDEORAO BONDE (Maharashtra): Sir, I draw the attention of the Government to the need for formal recognition and systematic care for patients with Neurofibromatosis Type 1 (NF1), a rare and complex genetic condition affecting

approximately 1 in 3,000 to 5,000 people. NF1 often begins in childhood and causes tumours, bone abnormalities, learning disabilities and, in many cases, plexiform neurofibromas (PN) progressive nerve sheath tumours that can lead to pain, disfigurement and life threatening complications. The psychosocial impact is profound, with patients facing stigma, bullying, isolation and deep emotional distress. Despite this, NF1 remains under-recognised in India's health policy, including the National Policy for Rare Diseases (NPRD). This lack of recognition restricts access to multidisciplinary care, innovative therapies, financial assistance, and structured rehabilitation. Current disability assessment frameworks also fail to capture the invisible and fluctuating impairments caused by NF1.

Scientific progress now offers effective, targeted therapies for inoperable PN. Yet, without NPRD inclusion, such treatments remain inaccessible for most Indian patients.

I urge the Government to formally include NF1 under the NPRD to enable standardized care at Centres of Excellence, treatment funding, structured referrals, patient registries and advocacy support. This is a public health and moral imperative.

Concern over cybercrimes in the country

श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाई (गुजरात): महोदय, मैं सरकार का ध्यान देश में लगातार बढ़ते साइबर अपराधों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। सबसे अधिक शिकार पेंशन राशि, आम नागरिकों के शेयर मार्केट खाते तथा व्यापारियों के बैंक खाते हो रहे हैं। साइबर हैकिंग, धोखाधड़ी की घटनाएँ न केवल आर्थिक नुकसान पहुँचाती हैं, बल्कि पीड़ितों की जीवन-आजीविका को भी प्रभावित करती हैं। स्थिति चिंताजनक तब हो जाती है, जब किसी के खाते पर साइबर हमला होता है और शिकायत के बाद जांच के नाम पर उसका बैंक खाता फ्रीज कर दिया जाता है। अक्सर उस व्यापारी से जुड़े अन्य व्यापारियों या पूर्व लेन-देन वाले खातों को भी फ्रीज कर दिया जाता है, जिससे कई निर्दोष व्यापारी प्रभावित होते हैं। परिणामस्वरूप, दैनिक व्यापार संचालन ठप होता है, नकदी का प्रवाह रुक जाता है और व्यापारी अपने कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं तथा अन्य वित्तीय दायित्वों को पूरा नहीं कर पाते। मद्रास उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि पुलिस पूरे बैंक खाते को फ्रीज नहीं कर सकती, बल्कि केवल धोखाधड़ी से संबंधित राशि को ही सीज किया जा सकता है। खाता धारकों को उनकी आजीविका के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत है।

अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि साइबर अपराध की जांच केवल संबंधित खाते तक सीमित रखी जाए, लिंकड या पूर्व लेन-देन वाले खातों को अनावश्यक रूप से फ्रीज न किया जाए, यदि खाता फ्रीज करना अनिवार्य हो, तो बैंक अस्थायी रूप से कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराए तथा फास्ट-ट्रैक जांच, समर्पित साइबरक्राइम इकाई और जागरूकता अभियान लागू किए जाएँ, ताकि अपराध रुके और व्यापार निर्बाध चलता रहे।

**Demand for establishment of a modern and excellent institute for the study of
science in Taregna under Patna district of Bihar on the lines of
Indian Institute of Science, Bangalore**

डा. भीम सिंह (बिहार): महोदय, 22 जुलाई, 2009 को पूर्ण सूर्यग्रहण की अद्भुत घटना हुई, जो 6 मिनट 39 सेकंड तक चली। इसे 21वीं सदी का सबसे लंबा सूर्यग्रहण माना जाता है। यह सूर्यग्रहण दुनिया में सबसे स्पष्ट रूप से भारत में बिहार के पटना जिला अंतर्गत तारेगना नामक स्थान पर दृष्टिगोचर हुआ। उस सूर्यग्रहण के वक्त इसरो, नासा सहित दुनिया के विभिन्न देशों से सैकड़ों वैज्ञानिक उस खगोलीय परिघटना के अध्ययन के लिए तारेगना पहुँचे और अध्ययन किया।

बिहार के इस तारेगना नामक स्थान के साथ-साथ पटना जिला अन्तर्गत ही खगौल नामक स्थान को भी खगोलीय अध्ययन के लिए दुनिया में श्रेष्ठ स्थान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि महान भारतीय गणितज्ञ तथा खगोलशास्त्री आर्यभट्ट इन्हीं स्थानों पर रहते और अध्ययन करते थे। इन स्थानों के नामों, 'तारेगना' (यानी Counting of Stars) और 'खगौल' (जो खगोल यानी Astronomy से बना है), से भी यह बात प्रमाणित होती है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कटिबद्ध हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी का विज्ञान एवं अनुसंधान पर काफी जोर है। मेरा विचार है कि वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उपयुक्त इस स्थान पर विज्ञान अध्ययन के लिए एक उच्च संस्थान की स्थापना राष्ट्र हित में होगी।

लिहाजा मैं सरकार से माँग करता हूँ कि बिहार के पटना जिला अंतर्गत तारेगना नामक उक्त स्थान पर विज्ञान के अध्ययन के लिए इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु की तर्ज पर एक उच्च, आधुनिक तथा उत्कृष्ट संस्थान की स्थापना की जाए।

Concern over increasing obscenity in the Bhojpuri film and music industry

श्रीमती धर्मशीला गुप्ता (बिहार): महोदय, भोजपुरी भाषा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा है। यह केवल एक भाषा नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं, परंपराओं, लोक गीतों, साहित्य और सामाजिक मूल्यों की पहचान है। भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिसिर और लोक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा ने भोजपुरी को सम्मान दिलाया है। किन्तु, दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज उसी भोजपुरी इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा अश्लीलता, द्विअर्थी संवादों, महिलाओं के वस्तुकरण और सामाजिक मर्यादाओं के उल्लंघन से जुड़ गया है। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे गीत और दृश्य करोड़ों लोगों तक पहुंच रहे हैं, जिनकी भाषा और प्रस्तुति न केवल महिलाओं के सम्मान के विपरीत है, बल्कि किशोरों और बच्चों के मानसिक विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। इन गीतों और फिल्मों में महिलाओं को केवल आकर्षण की वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, हिंसा और भेदी भाषा का खुला प्रदर्शन होता है, पारिवारिक मूल्यों का उपहास किया जाता है।

अतः मैं सरकार से मांग करती हूँ कि भोजपुरी फिल्मों और गीतों के लिए सख्त सेंसर निगरानी तंत्र विकसित किया जाए। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रही अश्लील सामग्री की

निगरानी के लिए एक विशेष तंत्र बनाया जाए। महिलाओं के अपमानजनक चित्रण के विरुद्ध स्पष्ट दिशा-निर्देश और दंडात्मक प्रावधान लागू किए जाएँ। क्षेत्रीय फिल्म उद्योगों को प्रोत्साहन देते समय सांस्कृतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी को अनिवार्य मानदंड बनाया जाए। सकारात्मक, पारिवारिक और सांस्कृतिक विषयों पर आधारित भोजपुरी सिनेमा को विशेष प्रोत्साहन और अनुदान दिया जाए।

**Demand of Vande Bharat Express train from Jaipur to Jodhpur
via Sikar, Churu, Bikaner**

श्री घनश्याम तिवाड़ी (राजस्थान): महोदय, राजस्थान की राजधानी जयपुर से सीकर, चुरू, बीकानेर होते हुए जोधपुर के रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाये जाने के लिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ। इस रूट पर काफी अधिक संख्या में यात्रियों का लोड होता है। इसका कारण है जयपुर राजस्थान की राजधानी होने के साथ साथ यह शहर शिक्षा के क्षेत्र में भी अभिन्न स्थान रखता है। यहाँ पर प्रदेश और देश के सभी हिस्सों से छात्र पढ़ने के लिए आते हैं और पर्यटन की दृष्टि से भी यह स्थान महत्त्वपूर्ण है। इसके अलावा सीकर में खाटूश्याम जी, जीण माता, हर्षनाथ जी, चुरू में सालासर बालाजी धाम और बीकानेर में जूनागढ़ किला, करणी माता और अंत में जोधपुर में भी मेहरानगढ़ एवं अन्य महत्त्वपूर्ण स्थान हैं। महोदय, यदि इस रूट पर वंदे भारत जैसी फास्ट स्पीड की ट्रेन चलाई जाती है, तो व्यापारियों, छात्रों, पर्यटकों और आमजन को बहुत लाभ होगा, साथ ही सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी। प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा अमृत स्टेशन योजना के माध्यम से प्रदेश के स्टेशनों का रूप भी बदला है। इसलिये इस रूट पर ट्रेन चलाया जाना अत्यावश्यक है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि जयपुर से सीकर, चुरू, बीकानेर होते हुए जोधपुर तक जाने के लिए वंदे भारत ट्रेन चलाये जाने की कृपा करें।

Concern over rising food adulteration

DR. K. LAXMAN (Uttar Pradesh): Sir, I draw the attention of the Government concerning alarming rise in food adulteration across the country. Despite the Food Safety and Standards Act, 2006, repeated incidents over the last few years indicate that adulterated and unsafe food items are increasingly entering the market, particularly staples such as milk, ghee, paneer, edible oils, sweets, spices and street food. Several States have revealed large-scale seizure of chemically adulterated dairy products; sweets prepared using synthetic colours, and food being manufactured in unhygienic conditions.

According to FSSAI data, 83 per cent of paneer samples sold in India fail to meet safety norms. Consumption of such adulterated food has led to frequent outbreaks of food poisoning, gastrointestinal diseases, and long-term health



complications, especially affecting children and economically weaker sections who rely on informal food markets.

I would also like to draw the attention to a recent Times of India report where every 5th typhoid deaths is from Telangana, contaminated food and water have been identified as contributing factors. Such incidents underline the deadly consequences of compromised food safety. This issue demands immediate intervention as it directly impacts the right to life and health of citizens.

I urge the Government to review and strengthen food safety standards, enhance enforcement capacity of State authorities, ensure stricter penalties, and improve surveillance and testing Infrastructure. Only through firm, co-ordinated, and decisive action we can ensure that every citizen of this great nation receives safe, clean, and wholesome food.

Need for voluntary promotion of “Jai Hind” greeting in government offices

डा. कल्पना सैनी (उत्तराखंड) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ, जो सीधे राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रभक्ति से जुड़ा हुआ है। मेरा यह सुझाव किसी प्रकार की बाध्यता नहीं, बल्कि एक सकारात्मक पहल के रूप में है। हम सभी देखते हैं कि हमारे सशस्त्र बल — सेना, अर्द्धसैनिक बल और पुलिस जब भी अभिवादन करते हैं, तो गर्व के साथ “जय हिंद” कहते हैं। यह केवल एक शब्द नहीं, बल्कि देश के प्रति समर्पण, अनुशासन और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। यदि यही भावना हमारे सिविल प्रशासन और सरकारी कार्यालयों में भी स्वैच्छिक रूप से अपनाई जाए, तो इससे कार्य संस्कृति में सकारात्मक ऊर्जा और राष्ट्रीय चेतना का विस्तार होगा। कई अधिकारियों और कर्मचारियों से चर्चा के दौरान यह सामने आया कि वे ऐसा कहना तो चाहते हैं, लेकिन संकोचवश पहल नहीं कर पाते। यदि सरकार किसी दिशा-निर्देश या परामर्श के माध्यम से “जय हिंद” जैसे अभिवादन को स्वैच्छिक रूप से प्रोत्साहित करें, तो इससे देशभक्ति की भावना और मजबूत हो सकती है। मैं पुनः स्पष्ट करना चाहती हूँ कि यह सुझाव पूरी तरह स्वैच्छिक हो, किसी प्रकार की अनिवार्यता नहीं। ऐसे छोटे प्रयास नागरिकों और शासन के बीच भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करते हैं तथा राष्ट्रीय एकता और सम्मान की भावना को बढ़ावा देते हैं। अतः मेरा विनम्र आग्रह है कि सरकार इस दिशा में विचार करे और यदि उपयुक्त समझे तो आवश्यक कदम उठाए। मैं पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से भी सहयोग की अपेक्षा रखती हूँ।

Demand for promoting local product-based MSMEs and generating employment in Mayurbhanj, Odisha

श्रीमती ममता मोहंता (ओडिशा): महोदय, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, उद्यम पंजीकरण, क्रेडिट गारंटी योजना तथा वोकल फॉर लोकल के माध्यम से देशभर

में MSME क्षेत्र को सशक्त किया जा रहा है, जिसके लिए मैं सरकार की सराहना करती हूँ। ओडिशा के मयूरभंज जिले, जो एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, में साबई घास से बने उत्पाद, टसर सिल्क, लाह एवं लाख आधारित उत्पाद, साल पत्ता प्लेट (दोना-पत्तल) तथा हस्तशिल्प एवं वन-आधारित उत्पादों की समृद्ध परंपरा और व्यापक संभावनाएँ हैं। इसके बावजूद इन उत्पादों से जुड़े स्थानीय कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों एवं महिला उद्यमियों को आधुनिक तकनीक, मूल्य संवर्धन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग एवं बाजार तक सीधी पहुँच की पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पा रही है।

अतः मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि मयूरभंज जैसे जिलों में स्थानीय उत्पाद आधारित MSME क्लस्टर, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, डिजाइन एवं पैकेजिंग सहायता, महिला एवं आदिवासी उद्यमियों के लिए विशेष प्रशिक्षण एवं क्रेडिट सुविधा, तथा ई-मार्केट प्लेस एवं निर्यात से जुड़ाव को प्राथमिकता दी जाए, जिससे स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय पहचान, स्थायी रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को सुदृढ़ किया जा सके।

Concern over decline in water quality of Mula—Mutha Rivers in Pune

DR. MEDHA VISHRAM KULKARNI (Maharashtra): Sir, I draw the attention of the Government to the deterioration in the water quality of the Mula—Mutha river system in Pune, as highlighted in a study conducted by the Central Water and Power Research Station (CWPRS) under the National Hydrology Project of the Ministry of Jal Shakti. The report states that while flowing through Pune city, the Mula and Mutha rivers are the most vulnerable due to untreated sewage discharge, pollution, narrowing of the riverbed, encroachments on floodplains and inadequate environmental flow, adversely affecting river ecology, public health and urban water sustainability. Pune generates nearly 900 million litres of sewage every day, of which only about 600 million litres is treated before discharge into the rivers. Although eleven sewage treatment plants with a combined capacity of 396 million litres have been proposed, the report notes delays in implementation, resulting in a substantial treatment gap. The CWPRS study also undertook computational flood modelling, warning that riverbed constriction and floodplain encroachments significantly increase flood risks during heavy rainfall. The report further emphasizes maintaining adequate dissolved oxygen levels and minimum ecological flow to restore water quality and aquatic life. Despite submission of this report to the Pune Municipal Corporation, effective on-ground action remains inadequate.

I urge the Government, in coordination with the State Government and local authorities to ensure time-bound implementation of the recommendations, strict monitoring of sewage discharge, protection of floodplains and restoration of the Mula—Mutha rivers in the larger public interest.



Concern over growing problem of traffic congestion and road accidents in Chandigarh

डा. सिकंदर कुमार (हिमाचल प्रदेश): महोदय, मैं सरकार का ध्यान चंडीगढ़ में यातायात की बढ़ती समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। चंडीगढ़ भारत के सबसे व्यवस्थित शहरों में से एक है, जो बढ़ते वाहन घनत्व के कारण सड़कों पर यातायात जाम और सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी की समस्या का सामना कर रहा है। प्रतिदिन नए वाहन पंजीकृत हो रहे हैं, जिससे वाहन अनुपात राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक है। शहर के मुख्य वाणिज्यिक क्षेत्रों में पार्किंग की कमी और सतही पार्किंग के कारण वाहनों की लम्बी कतारें लगती हैं। बढ़ती जनसंख्या और वाहन घनत्व को देखते हुए चंडीगढ़ में दीर्घकालिक, आर्थिक रूप से टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन की आवश्यकता है। यदि मेट्रो परियोजना उचित लागत प्रबंधन और बहुमॉडल एकीकरण के साथ लागू की जाए, तो शहर की यातायात समस्या का स्थायी समाधान किया जा सकता है। यह परियोजना चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों के लिए एक बड़ा कदम साबित होगी, जो सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने में मदद करेगी। महोदय, मैं भारत सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि मेट्रो परियोजना से सम्बंधित इस विषय पर गंभीरता से विचार किया जाये। मेट्रो के शीघ्र कार्यान्वयन से निजी वाहनों की सड़क पर संख्या घटेगी, जिससे जाम और दुर्घटनाओं में गिरावट आएगी तथा शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार होगा।

Demand for integration of the Fertilizer Management System (iFMS) with the My Crop My Details (MFMB) portal

श्री सुभाष बराला (हरियाणा): महोदय, मैं सरकार का ध्यान हरियाणा राज्य में लागू एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (iFMS) तथा उसके “मेरी फसल मेरा ब्योरा (MFMB)” पोर्टल के साथ किए गए एकीकरण की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यह डिजिटल पहल उर्वरक वितरण और सब्सिडी प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार है। इस एकीकरण के माध्यम से किसान पंजीकरण, भूमि एवं फसल का डिजिटल सत्यापन, उर्वरक वितरण तथा सब्सिडी निगरानी को एक ही प्रमाणिक मंच से जोड़ा गया है। अब यूरिया, डीएपी एवं अन्य सब्सिडी युक्त उर्वरक केवल तभी प्रदान किए जाते हैं, जब PoS प्रणाली पर MFMB पोर्टल में दर्ज भूमि एवं फसल विवरण का विधिवत मिलान हो जाता है। इससे अनधिकृत खरीद, अतिरिक्त उपयोग तथा उर्वरक डायवर्जन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है।

इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप सार्वजनिक धन की उल्लेखनीय बचत हुई है। 8 अक्टूबर, 2025 के बाद उर्वरकों की खपत में कमी आने से भारत सरकार को लगभग 699.13 करोड़ रुपये की अनुमानित सब्सिडी बचत प्राप्त हुई है, जो सब्सिडी अब वास्तविक एवं सत्यापित कृषि उपयोग तक सीमित हो रही है। यह मॉडल रीयल-टाइम डेटा के आधार पर मांग आकलन, बेहतर लॉजिस्टिक्स योजना तथा समय पर उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित करता है, जिससे किसानों के हितों की रक्षा होती है। अतः मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस हरियाणा मॉडल का

अध्ययन कर इसे अन्य राज्यों में लागू करने पर विचार किया जाए, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर उर्वरक सब्सिडी प्रणाली अधिक पारदर्शी, कुशल एवं टिकाऊ बन सके।

Demand for establishing a National Astronomical Observatory in Odisha

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Sir, I bring to the attention of the Government the need for establishing a National Astronomical Observatory in Odisha. Odisha possesses a distinguished astronomical heritage, exemplified by the works of illustrious scholars such as Pathani Samanta and Satananda, whose pioneering contributions to celestial studies constitute a vital part of India's scientific tradition. Establishing an observatory in Odisha would be a fitting tribute to this legacy and align with the Government of Odisha's vision. It would complement the planned development of Bhubaneswar as a Science City, envisioned as a major centre for scientific research, innovation and education. Presently, India's major observatories are located at Hanle in Ladakh, Nainital in Uttarakhand, Kavalur in Tamil Nadu and Mount Abu in Rajasthan. A facility in Odisha would extend national astronomical coverage to the eastern region, ensuring balanced geographical representation and strengthening India's observational capacity. The observatory would promote

advanced research in astronomy, astrophysics and data science; create skilled employment; and stimulate scientific tourism through astro-ecotourism and public engagement. It would also connect communities with their cultural and scientific heritage, inspire future generations.

I, therefore, urge the Government to: 1. Establish a National Astronomical Observatory in Odisha under a leading national scientific institution; and 2. Integrate it with local universities and research centres to promote advanced studies and innovation. Such an initiative would embody the convergence of science, culture and sustainable development, along with reinforcing our vision for Aatmanirbhar Bharat and leadership in astronomical research.

Demand for a medical college in the aspirational district of Barwani, Madhya Pradesh

डा. सुमेर सिंह सोलंकी (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं सरकार का ध्यान आकांक्षी जिला, बड़वानी (मध्य प्रदेश) में शासकीय मेडिकल कॉलेज खोलने की अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

महोदय, बड़वानी एक आदिवासी जिला है, जहाँ सिकल सेल एनीमिया जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ हैं तथा जन्मजात बीमारियाँ व्यापक रूप में मौजूद हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए मोदी सरकार द्वारा अतुलनीय कार्य किया जा रहा है। आज भी कुछ बीमारियाँ चिंता का विषय बनी हुई हैं। जिलावासियों, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार वर्षों से बड़वानी जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की माँग उठाई जा रही है, जो आज भी लंबित है। यदि इस आदिवासी क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना होती है, तो यह स्वास्थ्य सुविधाओं को आधुनिक, सुलभ और प्रभावी बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम होगा और आदिवासी समाज में प्रचलित गंभीर बीमारियों पर विशेष शोध द्वारा यहाँ उन्नत उपचार किया जा सकेगा। बड़वानी मेडिकल कॉलेज की स्थापना से युवाओं के लिए चिकित्सा शिक्षा, नर्सिंग, पैरामेडिकल प्रशिक्षण और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे, जिससे जिले की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में बड़ा परिवर्तन आएगा। माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में सरकार आदिवासी क्षेत्रों के समग्र विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है, तब यह विश्वास और भी प्रबल होता है कि इस आदिवासी क्षेत्र का बहुप्रतीक्षित सपना शीघ्र ही साकार होगा।

मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि बड़वानी जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इसे शीघ्र मंजूरी प्रदान की जाए।

Concern over low literacy rate in Bihar

श्री संजय यादव (बिहार) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान बिहार में अभी भी अपेक्षाकृत निम्न साक्षरता दर की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

महोदय, अनेक प्रयासों और योजनाओं के बावजूद, राज्य के कई जिलों -विशेषकर ग्रामीण, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों - में शिक्षा का स्तर राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे बना हुआ है। इसका सीधा प्रभाव युवाओं के कौशल, रोजगार के अवसरों और सामाजिक गतिशीलता पर पड़ रहा है, जिससे गरीबी, पलायन और असमानता का दुष्चक्र बना हुआ है। विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा, ड्रॉपआउट दर और विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की कमी गंभीर चिंता का विषय है।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूँ कि:- (i) बिहार के लिए विशेष शिक्षा पैकेज और विद्यालय अवसंरचना सुधार पर विचार करे। (ii) बालिका शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कोई समयबद्ध कार्य योजना तैयार करे।

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet at 11.00 a.m. on Monday, the 9th March, 2026.

The House then adjourned at one of the clock till eleven of the clock on Monday, the 9th March, 2026.

PUBLISHED UNDER RULE 260 OF RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF
BUSINESS IN THE COUNCIL OF STATES (RAJYA SABHA)
